# XI 2014-15 के लिए रिज़र्व बैंक का लेखा

*30 जून 2015 को समाप्त वर्ष के दौरान रिज़र्व बैंक के तुलनपत्र के आकार में 10.09 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है। इस वृद्धि का मुख्य कारण इसके आस्ति पक्ष में विदेशी मुद्रा आस्तियों में 21.50 प्रतिशत की वृद्धि तथा देयता पक्ष में परिचालन में नोटों की संख्या तथा जमाराशियों में क्रमशः 9.57 प्रतिशत और 37.60 प्रतिशत की वृद्धि होना रहा है। जहां वर्ष 2014-15 में सकल आय में 22.66 प्रतिशत की तीव्र वृद्धि हुई है, वहीं कुल व्यय में 11.92 प्रतिशत का ही इज़ाफा हुआ है। वर्ष की समाप्ति पर समग्र अधिशेष पिछले वर्ष के ₹526.79 बिलियन की तुलना में ₹658.96 बिलियन था जो 25.09 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है।*

XI.1 रिज़र्व बैंक के तुलनपत्र से मोटे तौर पर इसकी उन गतिविधियों की झलक मिलती है जिन्हें मुद्रा निर्गम कार्य के साथ मौद्रिक नीति तथा आरक्षित निधि के प्रबंधन उद्देश्यों के अनुसरण में किया जाता है। वर्ष 2014-15 के दौरान रिज़र्व बैंक के परिचालनों के मुख्य वित्तीय परिणाम, टिप्पणियों सहित निम्नलिखित परिच्छेदों में प्रस्तुत किए गए हैं।

XI.2 वर्ष 2014-15 के दौरान तुलनपत्र के समग्र आकार में ₹2647.92 बिलियन अर्थात 10.09 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। 30 जून 2014 की स्थिति के अनुसार इसका आकार ₹26,243.67 बिलियन था जो 30 जून 2015 को बढ़कर ₹28,891.59 बिलियन हो गया। आस्ति पक्ष में बढ़ोतरी का मुख्य कारण विदेशी मुद्रा आस्तियों(एफसीए) में वृद्धि होना रहा है। जबकि आस्ति पक्ष में वृद्धि की खास वजह परिचालन में नोटों की संख्या तथा जमाराशियों (डिपाजिट्स) में इज़ाफा होना रहा है। 30 जून 2015 को कुल आस्तियों में से घरेलू आस्तियां (स्वर्ण सहित) 26.07 प्रतिशत जबकि विदेशी मुद्रा आस्तियां 73.93 प्रतिशत थी, इसकी तुलना में 30 जून 2014 को ये क्रमशः 33.0 प्रतिशत और 67.0 प्रतिशत थीं।

XI.3 पिछले वर्ष के समान ही इस वर्ष भी कोई भी राशि आकस्मिकता- निधि में अंतरित नहीं की गई है। ₹10.00 बिलियन की राशि का प्रावधान किया गया है जिसे आस्ति विकास निधि में अंतरित किया गया है, विशेष रूप से राष्ट्रीय आवास बैंक (एनएचबी) की पूंजी में अंशदान देने हेतु, और अधिशेष राशि ₹658.96 बिलियन केंद्र सरकार को अंतरित की गई है। पिछले पाँच वर्षों में आकस्मिकता निधि और आस्ति विकास निधि की राशियों तथा केंद्र सरकार को अंतरित अधिशेष राशि की स्थिति क्रमशः सारणी XI.1 और XI.2 में दी गई है।

XI.4 बेहतर तुलनात्मक स्थिति प्रस्तुत करने तथा अधिक पारदर्शिता लाने की दृष्टि से रिज़र्व बैंक अपने वित्तीय विवरणों में प्रकटीकरण को क्रमिक रूप से बेहतर बनाता जा रहा है। तुलनपत्र तथा लाभ और हानि विवरण के प्रस्तुतीकरण के तरीके की समीक्षा करने के लिए 2012-13 में एक तकनीकी समिति गठित की गई थी [अध्यक्षः श्री वाय. एच. मालेगाम (तकनीकी समिति)], समिति ने रिज़र्व बैंक के तुलनपत्र के फार्मेट तथा विषय-वस्तु एवं लाभ और हानि लेखा के संबंध में तथा लाभ और हानि लेखा के नाम को बदलकर आय-विवरण करने जैसी अनेक सिफ़ारिशें की हैं। इसके अलावा, समिति ने इसकी लेखांकन नीति में भी कुछेक परिवर्तन करने की सिफ़ारिश की है। रिज़र्व बैंक के बोर्ड ने इन परिवर्तनों की

**सारणी XI.1 आकस्मिकता निधि(सीएफ़) और आस्ति विकास निधि (एडीएफ़) की राशियाँ**

(बिलियन ₹ में)

| 30 जून की स्थिति | सीएफ़ में जमाराशि | एडीएफ़ में जमाराशि | कुल | कुल आस्तियों की तुलना में सीएफऔर एडीएफ का प्रतिशत |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4=(2+3) | 5 |
| 2011 | 1707.28 | 158.66 | 1865.94 | 10.3 |
| 2012 | 1954.05 | 182.14 | 2136.19 | 9.7 |
| 2013 | 2216.52 | 207.61 | 2424.13 | 10.1 |
| 2014 | 2216.52 | 207.61 | 2424.13 | 9.2 |
| 2015 | 2216.14* | 217.61 | 2433.75 | 8.4 |

* सीएफ़ में गिरावट का कारण 30 जून 2015 को वायदा संविदा पर एमटीएम हानि के कारण एफ़सीवीए में डेबिट बैलेन्स को समायोजित करना रहा है।

**सारणी XI.2: सकल आय, व्यय और निवल प्रयोज्य आय**

(बिलियन ₹)

| मद | 2010-11 | 2011-12 | 2012-13 | 2013-14 | 2014-15 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ए) सकल आय | 370.70 | 531.76 | 743.58 | 646.17 | 792.56 |
| बी) आंतरिक आरक्षित निधि में अंतरण (i+ii) | 134.02 | 270.25 | 287.94 | 0.00 | 0.00 |
| (i) आकस्मिकता आरक्षित निधि | 121.67 | 246.77 | 262.47 | 0.00 | 0.00 |
| (ii) आस्ति विकास आरक्षित निधि@ | 12.35 | 23.48 | 25.47 | 0.00 | 0.00 |
| सी) निवल आय (ए-बी) | 236.68 | 261.51 | 455.63 | 646.17 | 792.56 |
| डी) कुल व्यय | 86.55 | 101.37 | 125.49 | 119.34 | 133.56 |
| ई) निवल प्रयोज्य आय (सी-डी) | 150.13 | 160.14 | 330.14 | 526.83 | 659.00 |
| एफ) निधियों को अंतरण * | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| जी) सरकार को अंतरित अधिशेष (ई-एफ) | 150.09 | 160.10 | 330.10 | 526.79 | 658.96 |
| सकल आय से व्यय को घटाकर सरकार के अंतरित अधिशेष का प्रतिशत | 52.8 | 37.2 | 53.4 | 99.99 | 99.99 |

*: पांच वर्ष के दौरान प्रत्येक वर्ष में हरेक को ₹10 मिलियन की राशि राष्ट्रीय औद्योगिक ऋण (दीर्घकालिक परिचालन) निधि, राष्ट्रीय ग्रामीण ऋण (दीर्घकालिक परिचालन) निधि, राष्ट्रीय ग्रामीण ऋण (स्थिरीकरण) निधि, राष्ट्रीय आवस ऋण (दीर्घकालिक परिचालन) निधि में अंतरित की गई।

@2014-15 के लिए नहीं दिखाया गया है क्योंकि इसे कुल व्यय में शामिल कर लिया गया है।

सिफ़ारिशों को लागू करने के लिए स्वीकार कर लिया है। इन परिवर्तनों को प्रभावी बनाने के लिए भारत सरकार ने बैंक के साप्ताहिक विवरण के फार्मेट को 15 जुलाई 2015 को भारत के राजपत्र में अधिसूचित किया है तथा भारतीय रिज़र्व बैंक सामान्य विनियमावली, 1949 की संबंधित धाराओं में संशोधनों को भारत के राजपत्र में 6 जुलाई 2015 और बैंक के तुलनपत्र तथा आय-विवरण को 15 जुलाई 2015 को अधिसूचित किया गया है। तदनुसार, बैंक का 2014-15 का वार्षिक लेखा नए फार्मेट में तैयार किया गया है।

XI.5 तुलनपत्र के फार्मेट औए विषयवस्तु में तथा लाभ और हानि लेखा में किए गए प्रमुख परिवर्तन इस प्रकार हैं:

- निर्गम और बैंकिंग विभागों के तुलनपत्रों को मिला दिया गया है और आस्ति एवं देयता की प्रत्येक मद को पंक्ति मद के रूप में दिखाया गया है जो अनुसूचियों द्वारा समर्थित है।
- 'स्वर्ण मुद्रा और बुलियन' जो पहले 'अन्य आस्तियों' का हिस्सा हुआ करता था और 'सहयोगी संस्थाओं तथा सम्बद्ध संस्थाओं में निवेश' जो पहले बैंकिंग विभाग के तुलनपत्र में 'निवेश' का हिस्सा हुआ करता था, अब तुलनपत्र के प्रमुख शीर्ष बना दिए गए हैं।
- लाभ और हानि लेखा का नाम बदलकर 'आय-विवरण' कर दिया गया है तथा आय शीर्ष को दो प्रमुख उप-शीर्षों यथा- 'ब्याज' और 'अन्य' में विभाजित कर दिया गया है जो अनुसूचियों द्वारा समर्थित हैं।
- व्यय के अंतर्गत एक नया शीर्ष 'प्रावधान' जोड़ा गया गया है जो आकस्मिकता निधि (सीएफ़) और आस्ति विकास निधि (एडीएफ़) में किए गए अंतरण के लेखांकन प्रयोजन से है।
- रिपोर्टिंग यूनिट को 'रुपये हज़ार' से बदलकर 'रुपये बिलियन' कर दिया गया है।

XI.6 सुपाठ्यता और बेहतर प्रस्तुतीकरण की दृष्टि से निवेश को चार प्रमुख श्रेणियों में विभाजित किया गया है। बैंकिंग विभाग तुलनपत्र के भाग के रूप में 'विदेश में धारित राशियाँ' और 'निवेश' को 'निवेश-विदेशी-बैंकिंग विभाग' तथा 'निवेश-घरेलू-बैंकिंग विभाग' के रूप में दिखाया गया है। 'निर्गम विभाग की आस्तियां' के भाग के रूप में 'विदेशी प्रतिभूतियाँ' और 'भारत सरकार रुपये प्रतिभूतियाँ' को अब क्रमशः 'निवेश-विदेशी-निर्गम विभाग' तथा 'निवेश-घरेलू-निर्गम विभाग' के रूप में दिखाया गया है। आकस्मिकता आरक्षित निधि और आस्ति विकास आरक्षित

निधि का नाम बदलकर 'आकस्मिकता निधि' तथा 'आस्ति विकास निधि' कर दिया गया है।

XI.7 तकनीकी समिति की सिफ़ारिशों के आधार पर कुछ परिवर्तन लेखांकन नीतियों में भी किए गए हैं जिन्हें 2014-15 से लागू भी कर दिया गया है। रेपो और रिवर्स रेपो लेनदेन को पहले प्रतिभूतियों की खरीद और बिक्री माना जाता था। इस प्रकार के लेनदेन का चूंकि तात्पर्य उधार देना तथा निधियों को जमा करना है और प्रतिभूतियां उस लेनदेन के मात्र संपार्श्विक के रूप में होती हैं, इसलिए एलएएफ़ और मार्जिनल स्टैंडिंग फ़ैसिलिटी (एमएसएफ़) के अंतर्गत रेपो को अब उधार देना माना जा रहा है और रिर्वस रेपो को भारतीय रिज़र्व बैंक के पास धन जमा करना माना जा रहा है। तकनीकी समिति ने यह भी सिफ़ारिश की है कि रुपये प्रतिभूतियों को उचित मूल्य पर आँका जाना चाहिए और उससे होने वाले किसी भी प्रकार के अप्राप्त लाभ या हानि को निवेश पुनर्मूल्यांकन लेखा में अंतरित किया जाए। इसे वर्ष 2015-16 से लागू किया जाएगा।

XI.8 भारतीय रिज़र्व बैंक की आंतरिक आरक्षित निधि और अधिशेष के स्तर एवं उसकी पर्याप्तता तथा वितरण नीति की समीक्षा के लिए वर्ष 2013-14 में एक अन्य तकनीकी समिति [अध्यक्षः श्री वाय एच मालेगाम (तकनीकी समिति II)] का गठन किया गया था। तकनीकी समिति II की सिफ़ारिशों के आधार पर बैंक द्वारा हस्तक्षेप करने के संबंध में की गई वायदा संविदाओं को वर्ष 2013-14 से तुलनपत्र की तारीख को बाज़ार भाव पर दर्शाया जा रहा है। इसके अलावा, लाभ को नज़रअंदाज करने और केवल हानि को हिसाब में लेने की पूर्व नीति के स्थान पर अब लाभ और हानि दोनों को हिसाब में लिया जा रहा है।

XI.9 तकनीकी समिति की अन्य प्रमुख सिफ़ारिशें जिन्हें 2015-16 में लागू किया जाएगा, इस प्रकार हैंः (i) रुपये में अंकित प्रतिभूतियों के पुनः मूल्यांकन करने की विधि को लेखा-मूल्य और बाज़ार-मूल्य, जो भी कम हो (एलओबीओएम) में परिवर्तित करते हुए उनका उचित मूल्यांकन करना, और (ii) करेंसी और स्वर्ण पुनर्मूल्यांकन लेखा (सीजीआरए) को स्वर्ण पुनर्मूल्यांकन लेखा (जीआरए) तथा विदेशी मुद्रा पुनर्मूल्यांकन लेखा (एफ़सीआरए) में विभाजित करना।

XI.10 वर्ष 2014-15 के लिए तुलनपत्र और आय-विवरण, नए फार्मेट में अनुसूचियों, महत्वपूर्ण लेखांकन नीति-विवरण तथा लेख-समर्थित टिप्पणियों सहित नीचे प्रस्तुत हैंः

# भारतीय रिज़र्व बैंक
## 30 जून 2015 का तुलन-पत्र

(बिलियन ₹)

| देयताएं | अनुसूची | 2013-14 | 2014-15 | आस्तियां | अनुसूची | 2013-14 | 2014-15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| पूंजी | | 0.05 | 0.05 | **बैंकिंग विभाग (बैं.वि.) की आस्तियां** | | | |
| आरक्षित निधि | | 65.00 | 65.00 | नोट, रुपया सिक्का, छोटे सिक्के | 5 | 0.11 | 0.11 |
| अन्य आरक्षित निधि | 1 | 2.20 | 2.22 | स्वर्ण सिक्के और बुलियन | 6 | 590.24 | 578.84 |
| जमाराशि | 2 | 3769.45 | 5186.86 | निवेश-विदेशी -बैंकिंग विभाग | 7 | 4,796.21 | 7,276.29 |
| अन्य देयताएं और प्रावधान | 3 | 8961.70 | 8905.03 | निवेश-घरेलू -बैंकिंग विभाग | 8 | 6,684.68 | 5,174.97 |
| | | | | खरीदे तथा भुनाये गए बिल | | 0.00 | 0.00 |
| | | | | ऋण और अग्रिम | 9 | 370.83 | 802.32 |
| | | | | सहयोगी संस्थओं में निवेश | 10 | 13.20 | 13.20 |
| | | | | अन्य आस्तियां | 11 | 343.13 | 313.43 |
| **निर्गम विभाग की देयताएं** | | | | **निर्गम विभाग (निवि) की आस्तियां** | | | |
| जारी किए गए नोट | 4 | 13,445.27 | 14,732.43 | सोने के सिक्के और बुलियन (नोट निर्गम के समर्थन के रूप में) | 6 | 649.78 | 637.23 |
| | | | | रुपये सिक्के | | 1.72 | 1.99 |
| | | | | निवेश-विदेश-निर्गम विभाग | 7 | 12,783.31 | 14,082.75 |
| | | | | निवेश-घरेलू-निर्गम विभाग | 8 | 10.46 | 10.46 |
| | | | | घरेलू विनिमय बिल और अन्य वाणिज्य-पत्र | | 0.00 | 0.00 |
| **कुल देयताए** | | **26,243.67** | **28,891.59** | **कुल आस्तियां** | | **26,243.67** | **28,891.59** |

# भारतीय रिज़र्व बैंक
# जून 2015 को समाप्त वर्ष का आय विवरण

(राशि बिलियन ₹)

| आय | अनुसूची | 2013-14 | 2014-15 |
|---|---|---|---|
| ब्याज | 12 | 636.88 | 744.82 |
| अन्य | 13 | 9.29 | 47.74 |
| **कुल** | | **646.17** | **792.56** |
| **व्यय** | | | |
| नोटों का मुद्रण | | 32.14 | 37.62 |
| करेंसी विप्रेषण पर व्यय | | 0.71 | 0.98 |
| एजेंसी प्रभार | 14 | 33.25 | 30.45 |
| ब्याज | | 0.04 | 0.01 |
| कर्मचारी लागत | | 43.24 | 40.58 |
| डाक और संचार प्रभार | | 0.84 | 0.91 |
| मुद्रण और लेखन-सामग्री | | 0.21 | 0.34 |
| किराया, कर, बीमा, बिजली आदि | | 1.22 | 1.14 |
| मरम्मत और रखरखाव | | 1.04 | 1.04 |
| निदेशकों और स्थानीय बोर्ड सदस्यों के शुल्क और व्यय | | 0.03 | 0.03 |
| लेखापरीक्षकों का शुल्क और व्यय | | 0.02 | 0.03 |
| विधिक प्रभार | | 0.05 | 0.04 |
| विविध व्यय | | 4.93 | 7.97 |
| मूल्यह्रास | | 1.62 | 2.42 |
| प्रावधान | | 0.00 | 10.00 |
| **कुल** | | **119.34** | **133.56** |
| **उपलब्ध शेष राशि** | | **526.83** | **659.00** |
| **घटाएं** : | | | |
| ए) निम्नलिखित में अंशदान : | | | |
| i) राष्ट्रीय औद्योगिक ऋण (दीर्घकालिक परिचालन) निधि | | 0.01 | 0.01 |
| ii) राष्ट्रीय आवस ऋण (दीर्घकालिक परिचालन) निधि | | 0.01 | 0.01 |
| बी) नाबार्ड को अंतरित योग्य : | | | |
| i) राष्ट्रीय ग्रामीण ऋण (दीर्घकालिक परिचालन) निधि [1] | | 0.01 | 0.01 |
| ii) राष्ट्रीय ग्रामीण ऋण (स्थिरीकरण)निधि[1] | | 0.01 | 0.01 |
| **केंद्र सरकार को देय अधिशेष** | | **526.79** | **658.96** |

1 *इन निधियों का रखरखाव नाबार्ड द्वारा किया जाता है।*

| मधुमिता एस.देब | एस.एस. मूंदड़ा | आर. गांधी | ऊर्जित आर. पटेल | हारून आर.खान | रघुराम जी. राजन |
|---|---|---|---|---|---|
| मुख्य महाप्रबंधक | उप गवर्नर | उप गवर्नर | उप गवर्नर | उप गवर्नर | गवर्नर |

## अनुसूचियां जो तुलनपत्र और आय विवरण का हिस्सा हैं

(राशि बिलियन ₹ में)

| | | 2013-14 | 2014-15 |
|---|---|---|---|
| **अनुसूची 1 :** | **अन्य आरक्षित निधि** | | |
| | (i) राष्ट्रीय औद्योगिक ऋण (दीर्घकालिक परिचालन) निधि | 0.23 | 0.24 |
| | (ii) राष्ट्रीय आवास ऋण (दीर्घकालिक परिचालन) निधि | 1.97 | 1.98 |
| | **कुल** | **2.20** | **2.22** |
| **अनुसूची 2 :** | **जमाराशियां** | | |
| | **(ए) सरकार** | | |
| | (i) केंद्र सरकार | 1.00 | 1.01 |
| | (ii) राज्य सरकार | 0.42 | 0.43 |
| | ***उप-योग*** | **1.42** | **1.44** |
| | **(बी) बैंक** | | |
| | (i) अनुसूचित वाणिज्य बैंक | 3,469.16 | 3,711.94 |
| | (ii) अनुसूचित राज्य सहकारी बैंक | 37.29 | 32.22 |
| | (iii) अन्य अनुसूचित सहकारी बैंक | 63.31 | 69.97 |
| | (iv) गैर अनुसूचित सहकारी बैंक | 4.81 | 10.71 |
| | (v) अन्य बैंक (क्षे.ग्रा.बैं, भू.वि.बैं. आदि) | 102.67 | 122.01 |
| | ***उप-योग*** | ***3,677.24*** | ***3,946.85*** |
| | **(सी) अन्य** | | |
| | (i) भारतीय रिज़र्व बैंक कर्मचारी भ.नि. खाता के प्रशासक | 38.62 | 40.75 |
| | (ii) जमाकर्ता शिक्षा और जागरुकता निधि | 27.95 | 78.75 |
| | (iii) विदेशी केंद्रीय बैंकों की राशियां | 10.13 | 14.71 |
| | (iv) भारतीय वित्तीय संस्थाओं की राशियां | 2.53 | 4.33 |
| | (v) अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं की राशियां | 1.43 | 1.45 |
| | (vi) पारस्परिक निधि | 0.01 | 0.01 |
| | (vii) अन्य | 10.12 | 1098.57 |
| | ***उप-योग*** | ***90.79*** | ***1,238.57*** |
| | **कुल** | **3,769.45** | **5,186.86** |
| **अनुसूची 3 :** | **अन्य देयताएं और प्रावधान** | | |
| | (i) उपदान और अधिवर्षिता निधि | 123.10 | 140.05 |
| | (ii) आकस्मिकता निधि (सीएफ) | 2,216.52 | 2,216.14 |
| | (iii) आस्ति विकास निधि (एडीएफ) | 207.61 | 217.61 |
| | (iv) मुद्रा और स्वर्ण पुनर्मूल्यांकन लेखा (सीजीआए) | 5,721.63 | 5,591.93 |
| | (v) निवेश पुनर्मूल्यांकन लेखा (आईआरए) | 37.91 | 32.14 |
| | (vi) विदेशी मुद्रा वायदा संविदा मूल्यांकन लेखा (एफसीबीए) | 42.98 | 0.00 |
| | (vii) वायदा संविदा मूल्यांकन लेखा हेतु प्रावधान (पीएफसीवीए) | 0.00 | 0.39 |
| | (viii) देयराशियों के लिए प्रावधान | 16.55 | 16.81 |
| | (ix) भारत सरकार को अंतरण योग्य अधिशेष | 526.79 | 658.96 |
| | (x) देय बिल | 0.37 | 0.17 |
| | (xi) विविध | 68.24 | 30.83 |
| | **कुल** | **8,961.70** | **8,905.03** |
| **अनुसूची 4 :** | **निर्गमित नोट** | | |
| | (i) बैंकिंग विभाग में धारित नोट | 0.11 | 0.11 |
| | (ii) परिचालन में नोट | 13,445.16 | 14,732.32 |
| | **कुल** | **13,445.27** | **14,732.43** |

| | | 2013-14 | 2014-15 |
|---|---|---|---|
| **अनुसूची 5 :** | **नोट, रुपये सिक्के, छोटे सिक्के (भारिबैं के पास)** | | |
| | (i) नोट | 0.11 | 0.11 |
| | (ii) रुपये सिक्के | 0.00 | 0.00 |
| | (iii) छोटे सिक्के | 0.00 | 0.00 |
| | **कुल** | **0.11** | **0.11** |
| **अनुसूची 6:** | **स्वर्ण के सिक्के और बुलियन** | | |
| | (i) बैंकिंग विभाग | 590.24 | 578.84 |
| | (ii) निर्गम विभाग (नोट निर्गम के समर्थन के रूप में) | 649.78 | 637.23 |
| | **कुल** | **1,240.02** | **1,216.07** |
| **अनुसूची 7:** | **विदेशी मुद्रा आस्तियां** | | |
| | (i) निवेश-विदेशी - बैंकिंग विभाग | 4,796.21 | 7,276.29 |
| | (ii) निवेश-घरेलू - निधि विभाग | 12,783.31 | 14,082.75 |
| | **कुल** | **17,579.52** | **21,359.04** |
| **अनुसूची 8:** | **निवेश घरेलू** | | |
| | (i) निवेश-घरेलू - बैंकिंग विभाग | 6,684.68 | 5,174.97 |
| | (ii) निवेश-घरेलू - निधि विभाग | 10.46 | 10.46 |
| | **कुल** | **6,695.14** | **5,185.43** |
| **अनुसूची 9:** | **ऋण और अग्रिम** | | |
| | **(ए) निम्नलिखित को ऋण और अग्रिम** | | |
| | (i) केंद्र सरकार | 0.00 | 0.00 |
| | (ii) राज्य सरकार | 6.66 | 25.77 |
| | ***उप-योग*** | ***6.66*** | ***25.77*** |
| | **(बी) निम्नलिखित को ऋण और अग्रिम** | | |
| | (i) अनुसूचित वाणिज्य बैंक | 294.17 | 732.03 |
| | (ii) अनुसूचित राज्य सहकारी बैंक | 0.00 | 0.00 |
| | (iii) अन्य राज्य सहकारी बैंक | 1.34 | 0.45 |
| | (iv) गैर अनुसूचित सहकारी बैंक | 0.00 | 0.00 |
| | (v) नाबार्ड | 0.00 | 0.00 |
| | (vi) अन्य | 68.66 | 44.07 |
| | ***उप-योग*** | ***364.17*** | ***776.55*** |
| | **(सी) राष्ट्रीय औद्योगिक ऋण (दीर्घकालिक परिचालन) निधि से ऋण, अग्रिम और निवेश** | | |
| | **(ए) निम्नलिखित को ऋण और अग्रिम** | | |
| | (i) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक | 0.00 | 0.00 |
| | (ii) भारतीय निर्यात-आयात बैंक | 0.00 | 0.00 |
| | (iii) भारतीय औद्योगिक निवेश बैंक लिमि. | 0.00 | 0.00 |
| | (iv) अन्य | 0.00 | 0.00 |
| | **(बी) निम्नलिखित द्वारा जारी बांड / डिबेंचर में निवेश** | | |
| | (i) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक | 0.00 | 0.00 |
| | (ii) भारतीय निर्यात-आयात बैंक | 0.00 | 0.00 |
| | (iii) भारतीय औद्योगिक निवेश बैंक लिमि. | 0.00 | 0.00 |
| | (iv) अन्य | 0.00 | 0.00 |
| | ***उप-योग*** | ***0.00*** | ***0.00*** |
| | **(डी) राष्ट्रीय औद्योगिक ऋण (दीर्घकालिक परिचालन) निधि से ऋण, अग्रिम और निवेश निधि:** | | |
| | (ए) राष्ट्रीय आवास बैंक को ऋण और अग्रिम | 0.00 | 0.00 |
| | (बी)राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा जारी बांड / डिबेंचर में निवेश | 0.00 | 0.00 |
| | ***उप-योग*** | ***0.00*** | ***0.00*** |
| | **कुल** | **370.83** | **802.32** |

| | | 2013-14 | 2014-15 |
|---|---|---|---|
| **अनुसूची 10:** | **सहयोगी संस्थाओं में निवेश** | | |
| | (i) निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम | 0.50 | 0.50 |
| | (ii) राष्ट्रीय आवास बैंक | 4.50 | 4.50 |
| | (iii) राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक | 0.20 | 0.20 |
| | (iv) भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण (प्रा.) लिमि. | 8.00 | 8.00 |
| | **कुल** | **13.20** | **13.20** |
| **अनुसूची 11:** | **अन्य आस्तियां** | | |
| | (i) अचल आस्तियां (कुल मूल्यह्रास को घटाकर) | 5.22 | 3.92 |
| | (ii) उपचित आय (ए+बी) | **225.90** | **206.26** |
| | ए. कर्मचारियों को दिए गए ऋण पर | 3.09 | 3.16 |
| | बी. अन्य मदों पर | 222.81 | 203.10 |
| | (iii) स्वैप परिशोधन लेखा | 59.30 | 94.33 |
| | (iv) वायदा संविदा लेखा का पुनर्मूल्यांकन (आरएफसीए) | 42.85 | 0.00 |
| | (v) विविध | 9.86 | 8.92 |
| | **कुल** | **343.13** | **313.43** |
| **अनुसूची 12:** | **ब्याज** | | |
| | **(i) घरेलू स्रोत** | | |
| | ए. घरेलू प्रतिभूतियों की धारिता पर ब्याज | 470.53 | 436.30 |
| | बी. एलएएफ परिचालन पर निवल ब्याज | 59.02 | 28.29 |
| | सी. एमएसएफ परिचालन पर ब्याज | 17.45 | 1.88 |
| | डी. घरेलू प्रतिभूतियों की बिक्री से लाभ | 331.37 | 139.15 |
| | ई. मूल्यह्रास | (-)480.45 | (-)98.28 |
| | एफ. ऋणों और अग्रिमों पर ब्याज | 37.46 | 14.06 |
| | **(ii) विदेशी स्रोत** | | |
| | ए. विदेशी प्रतिभूतियों की धारिता पर ब्याज | 201.50 | 223.42 |
| | **कुल** | **636.88** | **744.82** |
| **अनुसूची 13:** | **आय-अन्य** | | |
| | (i) विदेशी आस्तियों पर प्राप्त छूट से | 6.81 | 4.40 |
| | (ii) विदेशी मुद्रा लेनदेनों के विनिमय से | (-)10.61 | 29.62 |
| | (iii) कमीशन | 12.57 | 13.38 |
| | (iv) प्राप्त किराया | 0.05 | 0.05 |
| | (v) बैंक की संपत्ति बिक्री से लाभ/हानि | 0.01 | 0.02 |
| | (vi) प्रावधान जिसकी अब आवश्यकता नहीं | 0.46 | 0.27 |
| | **कुल** | **9.29** | **47.74** |
| **अनुसूची 14:** | **एजेंसी प्रभार** | | |
| | (i) सरकारी लेनदेन पर एजेंसी कमीशन | 27.81 | 29.63 |
| | (ii) प्राथमिक व्यापारियों को अदा किया गया हामीदारी कमीशन | 4.81 | 0.33 |
| | (iii) विविध (राहत /बचत बांडों के अभिदान के लिए बैंकों को अदा किया गया संचालन प्रभार) | 0.00 | 0.00 |
| | (iv) बाहरी आस्ति प्रबंधकों, अभिरक्षकों आदि को अदा किया गया शुल्क | 0.63 | 0.49 |
| | **कुल** | **33.25** | **30.45** |

# स्वतंत्र लेखा-परीक्षकों की रिपोर्ट

**भारत के राष्ट्रपति की सेवा में**

*वित्तीय विवरण पर रिपोर्ट*

हम, भारतीय रिज़र्व बैंक (जिसे आगे 'बैंक' कहा गया है) के अधोहस्ताक्षरी लेखा-परीक्षक इसके द्वारा केंद्र सरकार को 30 जून 2015 की स्थिति के अनुसार बैंक का तुलन-पत्र और उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए आय विवरण (जिसे आगे 'वित्तीय विवरण' कहा गया है) पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं जो कि हमारे द्वारा लेखा-परीक्षित की गई है।

*वित्तीय विवरणों के प्रति प्रबंधन का उत्तरदायित्व*

इन वित्तीय विवरणों को तैयार करने का उत्तरदायित्व प्रबंधन का है जो कि भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 के प्रावधानों की जरूरत तथा उसके अंतर्गत बनायी गयी विनियमावली और बैंक द्वारा लगातार पालन की गई लेखांकन नीतियों और प्रथाओं के अनुसार बैंक के कार्यों की सच्ची और सही स्थिति प्रस्तुत करते हैं। इस उत्तरदायित्व में वित्तीय विवरणों का प्रस्तुतीकरण और उन्हें तैयार करने के लिए उपयोगी आंतरिक नियंत्रण का डिजाइन, कार्यान्वयन और अनुरक्षण शामिल है जो इसके बारे में सच्ची और सही राय देते हैं और ये गलत बयानी, चाहे वह धोखाधड़ी के इरादे से अथवा त्रुटि से हुई हो, से मुक्त है।

*लेखा-परीक्षकों का उत्तरदायित्व*

हमारा दायित्व अपनी लेखा-परीक्षा के आधार पर इन वित्तीय विवरणों के संबंध में अभिमत व्यक्त करना है। हमने भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखापरीक्षण से संबंधित मानकों के अनुरूप लेखा-परीक्षा की है। इन मानकों में यह अपेक्षित है कि हम अपने लेखापरीक्षा के कार्य की नैतिक अपेक्षाओं और आयोजना ऐसे करें जिससे समुचित आश्वासन प्राप्त हो सके कि वित्तीय विवरण में राशि तथ्यात्मक रूप से गलत बयानी से मुक्त हो।

लेखा-परीक्षा में वित्तीय विवरण संबंधी राशि और प्रकटन की पुष्टि करने वाले साक्ष्यों की जाँच करने की प्रक्रियाएं शामिल हैं। प्रक्रियाओं का चुनाव लेखा-परीक्षक करते हैं जिसमें गलत बयानी, चाहे वह धोखाधड़ी के इरादे से अथवा त्रुटि से हुई हो, से संबंधित जोखिम का मूल्यांकन शामिल है। इन जोखिमों का मूल्यांकन करने के लिए लेखा-परीक्षक लेखा-परीक्षा प्रक्रियाओं की डिजाइन के लिए वित्तीय विवरणों का सही प्रस्तुतीकरण और बैंक की तैयारी के लिए उपयोगी आंतरिक नियंत्रण पर विचार करते हैं, लेकिन इसे बैंक के आंतरिक नियंत्रण की प्रभावकारिता पर दृष्टिकोण व्यक्त करने के लिए तैयार नहीं किया जाता है। लेखापरीक्षा में प्रयुक्त लेखांकन सिद्धांतों तथा प्रबंधन द्वारा किये गये महत्त्वपूर्ण आकलनों का निर्धारण तथा समग्र वित्तीय विवरण प्रस्तुतीकरण का मूल्यांकन भी शामिल है।

हम विश्वास करते हैं कि लेखा-परीक्षा से संबंधित जो साक्ष्य हमें प्राप्त हुए हैं, वे हमारी लेखा-परीक्षा में हमारी राय के लिए पर्याप्त आधार है।

*राय*

हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी में और हमें दिये गये स्पष्टीकरणों के अनुसार तथा बैंक की लेखा-बहियों में दर्ज महत्त्वपूर्ण लेखांकन नीतियों के साथ पठित यह तुलन-पत्र पूर्ण और सही है जिसमें सभी आवश्यक विवरण दिए गए हैं तथा इसे भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 के प्रावधानों तथा उसके अंतर्गत बनायी गयी विनियमावली के अनुसार सही तरीके से बनाया गया है ताकि इससे बैंक के कार्यों की सच्ची और सही स्थिति का पता लग सके।

*अन्य मामले*

हम रिपोर्ट करते हैं कि हमने बैंक से लेखा-परीक्षा के लिए आवश्यक जानकारी और स्पष्टीकरण मांगा था और वह जानकारी और स्पष्टीकरण हमें दिये गये हैं और वे संतोषजनक हैं।

हम यह भी रिपोर्ट करते हैं कि इस वित्तीय विवरण में बैंक के उन्नीस लेखांकन इकाइयों के लेखा शामिल किये गये हैं जो सांविधिक शाखा लेखा-परीक्षकों द्वारा परीक्षित हैं और हमने इस संबंध में उनकी रिपोर्ट पर विश्वास किया है।

कृते हरिभक्ति एंड कंपनी,एलएलपी
सनदी लेखाकार
(आईसीएआई फर्म पंजीयन सं. 103523 डब्ल्यू)

राकेश राठी
भागीदार
सदस्यता क्रम सं..045228

कृते सीएनके एंड एसोसिएट,एलएलपी
सनदी लेखाकार
(आईसीएआई फर्म पंजीयन सं. 101961डबल्यू)

मनीष संपत
भागीदार
सदस्यता क्रम सं. 101684

स्थान: मुंबई

दिनांक: 13 अगस्त, 2015

## 30 जून 2015 को समाप्त वर्ष के संबंध में महत्त्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का विवरण

### 1. सामान्य

1.1 भारतीय रिज़र्व बैंक की स्थापना भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम 1934 (अधिनियम) के अंतर्गत की गई थी जिसका उद्देश्य ''बैंक नोटों के निर्गम को नियंत्रित करना और भारत में मौद्रिक स्थायित्व प्राप्त करने की दृष्टि से आरक्षित निधि रखना और सामान्यतः देश के हित में मुद्रा और ऋण प्रणाली परिचालित करना है।''

1.2 बैंक के प्रमुख कार्य निम्नलिखित हैं :

ए) बैंक नोटों का निर्गम।

बी) मौद्रिक प्रणाली का प्रबंधन।

सी) बैंकों तथा गैर बैंकिंग वित्त कंपनियों (एनबीएफसी) का विनियमन और पर्यवेक्षण।

डी) अंतिम ऋणदाता की भूमिका का निर्वाह करना।

ई) भुगतान और निपटान प्रणाली का विनियमन और पर्यवेक्षण।

एफ) देश के विदेशी मुद्रा भंडार का अनुरक्षण और प्रबंध करना।

जी) बैंकों और सरकार के बैंकर के रूप में कार्य करना।

एच) सरकार के ऋण प्रबंधक की भूमिका का निर्वाह करना।

आइ) विदेशी मुद्रा बाजार का विनियमन और विकास।

जे) ग्रामीण ऋण एवं वित्तीय समावेशन सहित विकास कार्य।

1.3 अधिनियम में अपेक्षा की गई है कि बैंक नोटों का निर्गमन बैंक के निर्गम विभाग द्वारा किया जाना चाहिए जो एक अलग विभाग होगा और इसे बैंकिंग विभाग से पूर्णतः अलग रखा जाना चाहिए। निर्गम विभाग की आस्तियों में निर्गम विभाग की देयताओं को छोड़कर अन्य कोई देयताएं शामिल नहीं होंगी। अधिनियम में अपेक्षा की गई है कि निर्गम विभाग की आस्तियों में सोने के सिक्के, स्वर्ण बुलियन, विदेशी प्रतिभूतियां, रुपया सिक्का और रुपया प्रतिभूतियां शामिल होंगी और इनकी समग्र राशि निर्गम विभाग की कुल देयताओं से कम नहीं होनी चाहिए। अधिनियम की अपेक्षा है कि निर्गम विभाग की देयताएं भारत सरकार की करेंसी नोटों और उस समय परिचालनगत बैंक नोटों की कुल राशि के बराबर होंगी।

### 2. महत्त्वपूर्ण लेखांकन नीतियां

#### 2.1 परंपरा

वित्तीय विवरण भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 तथा उसके अंतर्गत जारी की गई अधिसूचनाओं के अनुसार एवं भारतीय रिज़र्व बैंक सामान्य विनियमावली, 1949 द्वारा निर्धारित फार्म में तैयार किये जाते हैं। जहां पुनर्मूल्यन को दर्शाने हेतु संशोधन किया गया हो उसे छोड़कर, विवरण पारंपरिक लागत पर आधारित हैं। विवरणों में अपनायी गयी लेखांकन-प्रणालियां और नीतियां, जब तक अन्यथा उल्लेख न किया गया हो, गत वर्ष के लिए अपनायी गई लेखांकन प्रणालियों और नीतियों के अनुरूप हैं।

#### 2.2 राजस्व निर्धारण

(ए) दंडात्मक ब्याज जिसकी गणना प्राप्ति सुनिश्चित होने पर ही की जाती है, को छोड़कर, आय और व्यय का निर्धारण उपचित आधार पर किया जाता है। वर्ष के दौरान शेयर पर लाभांश आय संबंधी नीति में संशोधन किया गया है और अब इसकी गणना उपचित आधार पर उस समय की जाती है जब नगदी आधार पर उसकी गणना करने की पूर्व नीति के प्रति उसकी गणना की प्राप्ति का अधिकार स्थापित हो जाता है।

(बी) देय ड्राफ्ट लेखा, भुगतान आदेश लेखा, फुटकर जमा लेखा, विप्रेषण समाशोधन खाता तथा बयाना जमाराशि खाता सहित कतिपय अस्थायी लेखे में लगातार तीन वर्ष से अधिक अवधि के लिए अदावाकृत और बकाया शेष का पुनरीक्षण किया जाता है और उसे आय में पुनः शामिल किया जाता है। इससे संबंधित दावों पर विचार किया जाता है और जब कभी उनका भुगतान किया जाता है तब उन्हें आय में से प्रभारित किया जाता है।

(सी) विदेशी मुद्रा में आय और व्यय को यथा प्रयोज्य सप्ताह/माह/वर्ष के अंतिम कारोबारी दिवस में प्रचलित विनिमय दरों के आधार पर दर्शाया जाता है।

## 2.3 स्वर्ण तथा विदेशी मुद्रा आस्तियां और देयताएं

स्वर्ण और विदेशी मुद्रा आस्तियों तथा देयताओं के लेनदेनों को निपटान तिथि के आधार पर हिसाब में लिया जाता है।

### (ए) स्वर्ण

स्वर्ण का पुनःमूल्य निर्धारण माह के अंत में, उस माह के लिए लंदन के बुलियन बाजार ऐशोसिएशन (एलबीएमए) के औसत दैनिक मूल्य के 90 प्रतिशत मूल्य पर, किया जाता है। उसके समकक्ष रुपये का निर्धारण उक्त माह के अंतिम कारोबार के दिन प्रचलित विनिमय दर के आधार पर किया जाता है। अप्राप्त लाभ/हानि को मुद्रा और स्वर्ण पुनर्मूल्यन खाते (सीजीआरए) में जमा/नामे किया जाता है।

### (बी) विदेशी मुद्रा आस्तियां और देयताएं

विदेशी मुद्रा की सभी आस्तियां और देयताएं (स्वैप के तहत रिपो के रूप में प्राप्त विदेशी मुद्रा और उन संविदाओं जहां दरें संविदागत रूप में निर्धारित होती हैं को छोड़कर) कारोबार के अंतिम सप्ताह, माह तथा वर्ष के अंतिम कारोबारी दिवस में प्रचलित विनिमय दरों पर दर्शायी जाती हैं। विदेशी मुद्रा आस्तियों और देयताओं को इस प्रकार से दर्शाए जाने से होने वाले विदेशी मुद्रा के लाभ और हानि को मुद्रा और स्वर्ण पूनर्मूल्यन खाते में डाला जाता है और वे वहीं पर समायोजित रहती हैं। खज़ाना बिलों, कमर्शियल पेपर और कतिपय ''परिपक्वता तक धारित'' प्रतिभूतियों (जैसे अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा जारी नोट्स में निवेश तथा इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनांस कंपनी (आइआइएफसी), यू.के. द्वारा जारी बांड) को छोड़कर, विदेशी प्रतिभूतियों का मूल्य निर्धारण, लागत के आधार पर किया जाता है, जो प्रत्येक माह के अंतिम कारोबार के दिन प्रचलित बाजार-मूल्य पर होता है। मूल्य वृद्धि या मूल्य ह्रास को निवेश पुनर्मूल्यन खाते (आईआरए) में दर्ज किया जाता है। निवेश पुनर्मूल्यन खाते (आईआरए) में जमा शेष बाद के वर्ष में ले जाया जाता है। वर्ष के अंत में निवेश पुनर्मूल्यन खाते का नामे शेष, यदि कोई हो, को आकस्मिक निधि से लिया जाता है और इसे अनुवर्ती वित्तीय वर्ष के प्रारंभिक दिन आकस्मिक निधि में वापस जमा किया जाता है। 2013-14 तक आईआरए में इस प्रकार के नामे शेष को लाभ और हानि खाते में रखे जाने की नीति थी। विदेशी खजाना बिलों और वाणिज्यिक पत्रों को बट्टे के परिशोधन से समायोजित लागत के अनुसार रखा जाता है। विदेशी प्रतिभूतियों पर प्रीमियम या डिस्काउंट को दैनिक रूप से परिशोधित किया जाता है। विदेशी मुद्रा आस्तियों के विक्रय पर लाभ/हानि की पहचान बही मूल्य के अनुसार की जाती है। दिनांकित विदेशी प्रतिभूतियों की बिक्री/पुनःप्राप्ति पर, विक्रय की गई प्रतिभूतियों, जो निवेश पुनर्मूल्यन खाते में रखी गई हों, के मूल्यांकन के परिणामस्वरूप लाभ/हानि को आय खाते में अंतरित किया जाता है।

### सी) वायदा/स्वैप संविदाएं

रिज़र्व बैंक द्वारा उसके हस्तक्षेप करने के परिचालनों के हिस्से के रूप में की गई वायदा संविदाओं का पुनर्मूल्यन वार्षिक आधार पर 30 जून को किया जाता है। बाजार मूल्य पर (एमटीएम) लाभ को 'विदेशी मुद्रा वायदा संविदाओं के मूल्यन खाता' (एफसीवीए) में जमा किया जाता है जिसे वायदा संविदाओं के पुनर्मूल्यांकन खाता (आरएफसीए) में प्रतिपक्षी के नामे किया जाता है। बाजार मूल्य पर (एमटीएम) हानि को एफसीवीए में नामे किया जाता है जिसके अंतर्गत वायदा कारोबारों के मूल्यन खाते के लिए पीएफसीवी में प्रतिपक्षी राशि जमा की जाती है। 30 जून की स्थिति के अनुसार एफसीवीए में नामे शेष, यदि कोई हो, को आकस्मिक निधि के तहत रखा जाता है और अगले वर्ष के पहले कार्य दिवस पर रिवर्स कर दिया जाता है। संविदा की अवधि पूर्ण होने पर वास्तविक लाभ या हानि को आय विवरण खाते में दर्शाया जाएगा तथा एफसीवीए, आरएफसीए एवं पीएफसीवीए में पहले दर्ज किए गए अप्राप्त लाभ/हानि को वापस किया जाएगा। आरएफसीए और पीएफसीवीए में शेष राशि क्रमशः इस प्रकार की वायदा संविदाओं के मूल्यांकन से अप्राप्त निवल लाभ और हानि को दर्शाती है।

बाजार से भिन्न दरों पर, जो रिपो के रूप में होती हैं, स्वैप किए जाने की स्थिति में भावी निविदा दर तथा निविदा किए जाने की दर में अंतर का परिशोधन संविदा की अवधि के दौरान किया जाता है और उसे आय विवरण में दर्ज किया जाता है जिसकी प्रतिपक्षी प्रविष्टियां स्वैप परिशोधन खाते (एसएए) में की जाती हैं। एसएए में दर्ज राशि को अंतर्निहित संविदा की अवधि पूर्ण होने पर रिवर्स कर दिया जाता है। इसके अलावा, इस तरह के स्वैप के माध्यम से प्राप्त राशि का आवधिक मूल्यांकन नहीं किया जाता है।

जहां एफसीवीए एवं पीएफसीवीए ''अन्य देयताओं'' का हिस्सा होती हैं, वहीं आरएफसीए और एसएए ''अन्य आस्तियों'' का हिस्सा होती हैं।

## 2.4 घरेलू निवेश

### (ए) रुपया प्रतिभूतियां

बैंक के घरेलू निवेश के भाग के रूप में धारित रुपया प्रतिभूतियों का मूल्य निर्धारण बही मूल्य या बाजार मूल्य से कम मूल्य (एलओबीओएम) पर किया जाता है। जहां ऐसी प्रतिभूतियों का बाजार मूल्य उपलब्ध न हो, वहां उनका मूल्य माह के अंतिम कारोबार के दिन भारतीय नियत आय मुद्रा बाजार और व्युत्पन्नी संघ (फिम्मडा) द्वारा अधिसूचित किए अनुसार प्रचलित आय-व्रक पर आधारित दर पर किया जाता है। मूल्य में कमी का समायोजन, यदि कोई हो, चालू ब्याज आय से किया जाता है। नोट निर्गम और प्रतिभूतियां जिन्हें फंड जैसे कि उपदान और सेवानिवृत्ति, भविष्य निधि, छुट्टी नकदीकरण, स्वास्थ्य सहायता निधि और जमाकर्ता की शिक्षा और जागरूकता (डीईए) फंड के प्रति चिह्नित किया गया है, के समर्थन में धारित गैर ब्याज वाली रुपया प्रतिभूतियों को परिपक्वता तक धारित (एचटीएम) के रूप में और उसके बाद बाजार भाव पर दर्शाया गया है।

### (बी) खज़ाना बिल

खज़ाना बिलों का मूल्य निर्धारण उनकी लागत के अनुसार किया जाता है।

### (सी) शेयर

शेयर में निवेश का मूल्य निर्धारण उनकी लागत के अनुसार किया जाता है।

## 2.5 चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) रिपो/रिवर्स रेपो और सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ)

वर्ष 2014-15 से चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) और सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ) के अंतर्गत रिपो को ऋण देने के रूप में लिया जा रहा है और 'ऋण और अग्रिम' के तहत दर्शाया जा रहा है जबकि 'रिवर्स रिपो' जमाराशि के रूप में लिया जा रहा है और 'जमा-अन्य' के तहत दर्शाया जा रहा है। पिछले वर्ष तक एलएएफ और एमएसएफ के तहत रिपो को रुपया प्रतिभूतियों की खरीद के रूप में और रिवर्स रिपो को रुपया प्रतिभूतियों की बिक्री के रूप में लिया गया था।

## 2.6 अचल आस्तियां

(ए) अचल आस्तियों का विवरण उनकी लागत में से मूल्यह्रास को घटाते हुए दिया जाता है।

(बी) कम्प्यूटरों, माइक्रोप्रोसेसरों, सॉफ्टवेयरों (₹0.1 मिलियन और उससे अधिक की लागत वाले), मोटर वाहनों, फर्नीचर आदि के संबंध में विवरण सीधी कटौती के आधार पर निम्नलिखित दरों पर दिया जाता है।

| आस्ति श्रेणी | मूल्यह्रास की दर |
|---|---|
| मोटर वाहन, फर्नीचर आदि | 20 प्रतिशत |
| कम्प्यूटर, माइक्रोप्रोसेसर, सॉफ्टवेयर आदि | 33.33 प्रतिशत |

(सी) पट्टाधारित भूमि पर परिशोधन प्रीमियम और भवनों पर मूल्यह्रास बट्टाकृत मूल्य आधार पर निम्नलिखित दरों पर दिया जाता है।

| आस्ति श्रेणी | मूल्यह्रास की दर/परिशेधन |
|---|---|
| पट्टाधारित भूमि और उस पर बने भवन | पट्टे की अवधि के अनुपात में किंतु 5 प्रतिशत से कम नहीं |
| पूर्ण स्वामित्व वाली (फ्रीहोल्ड) भूमि पर बने भवन | 10 प्रतिशत |

(डी) ₹0.1 मिलियन से कम लागत वाली अचल आस्तियां (आसानी से कहीं ले जाने योग्य आस्तियों को छोड़कर) अधिग्रहण के वर्ष से संबंधित लाभ/हानि खाते में प्रभारित की जाती हैं। आसानी से कही ले जाने योग्य ₹10,000 से अधिक लागत वाली इलेक्ट्रानिक आस्तियों जैसे लैपटॉप आदि का लागू दरों पर पूंजीकृत और मूल्यह्रास किया गया है।

(ई) ₹0.1 मिलियन और अधिक की लागत वाले कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की वैयक्तिक मदों को पूंजीकृत किया गया है और मूल्यह्रास की गणना लागू दरों पर की गयी है।

(एफ) अचल आस्तियों की वर्ष के अंत में शेष राशि पर मूल्यह्रास लगाया गया है।

(जी) रखाव मूल्य की हानि/पुनःविवरण के मूल्यांकन के लिए भवनों को दो वर्गों में निम्नानुसार वर्गीकृत किया गया है :

*(i) भवन जो उपयोग में है किंतु भविष्य में ध्वस्त किए जाने हेतु चिह्नित किए गए हैं/भविष्य में त्याग दिए जाएंगे :* इस प्रकार के भवनों के उपयोग का मूल्य भविष्य में जिस तारीख तक त्यागी/ध्वस्त किए जाने की संभावना है, की अवधि के लिए मूल्यह्रास का कुल है। बही मूल्य और इस प्रकार से निकाले गए मूल्यह्रास के कुल के बीच के अंतर को आय विवरण में लिया गया है और मूल्यह्रास में शामिल किया गया है।

*(ii) भवन जो त्याग दिए/खाली कर दिए गए हैं* :इस प्रकार के भवनों को प्राप्य मूल्य (निवल बिक्री मूल्य, यदि आस्ति को भविष्य में बेचने की संभावना है)/विध्वंस मूल्य घटाकर स्क्रैप मूल्य (यदि भविष्य में ध्वस्त किए जाएंगे) पर दर्शाया जायेगा। यदि मूल्य ऋणात्मक है, तो इस प्रकार के भवनों के रखाव मूल्य को ₹1 पर दर्शाया जाएगा। बही मूल्य और प्राप्य मूल्य (अर्थात निवल ब्रिकी मूल्य)/विध्वंस मूल्य को घटकर स्क्रैप मूल्य के बीच का अंतर आय विवरण में लिया गया है और मूल्यह्रास में शामिल किया गया है। आस्ति को ''अन्य आस्तियां'' - ''विविध '' शीर्ष के अंतर्गत दर्शाया जाएगा।

### 2.7 कर्मचारी लाभ

'अनुमानित इकाई ऋण' प्रणाली के अंतर्गत दीर्घकालिक कर्मचारी लाभों के खाते पर देयता बीमांकिक मूल्य निर्धारण के आधार पर दी जाती है।

## लेखे के संबंध में टिप्पणियां

### XI.11 बैंक की देयताएं और आस्तियां

### XI.11.1 देयताएं

**i) पूंजी**

रिज़र्व बैंक की स्थापना निजी शेयर धारकों के बैंक के रूप में 1935 में की गई थी जिसकी प्रारंभिक चुकता पूंजी ₹0.05 बिलियन थी। बैंक को 1 जनवरी 1949 को राष्ट्रीयकृत किया गया और इसके साथ ही उसका संपूर्ण स्वामित्व भारत सरकार को प्राप्त हो गया। भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 4 के अनुसार बैंक की चुकता पूंजी ₹0.05 बिलियन बनी हुई है।

**ii) आरक्षित निधि**

₹ 0.05 बिलियन की मूल आरक्षित निधि का सृजन भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 46 के अनुसार रिज़र्व बैंक द्वारा अधिग्रहीत तत्कालीन सरकार की मुद्रा देयताओं के प्रति केंद्र सरकार से अंशदान लेकर किया गया था। उसके पश्चात अक्तूबर 1990 तक स्वर्ण के पुनर्मूल्यन से प्राप्त होने वाले ₹64.95 बिलियन की लाभ-राशि को इस निधि में जमा किया गया जिससे यह निधि बढ़कर ₹65 बिलियन हो गई। उसके बाद से इस निधि में राशि जमा नहीं की गई है और स्वर्ण तथा विदेशी मुद्रा के मूल्यन से होने वाले लाभ-हानि को मुद्रा और स्वर्ण पुनर्मूल्यन खाता (सीजीआरए) में दर्ज किया जाता है जो कि तुलन-पत्र में 'अन्य देयताओं' की मद का एक हिस्सा है।

**iii) अन्य आरक्षित निधियां**

इसमें राष्ट्रीय औद्योगिक ऋण (दीर्घावधि परिचालन) निधि और राष्ट्रीय आवास ऋण (दीर्घावधि परिचालन) निधि शामिल हैं।

**ए. राष्ट्रीय औद्योगिक ऋण (दीर्घावधि परिचालन) निधि**

इस निधि का सृजन भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम की धारा 46सी के तहत जुलाई 1964 में ₹ 100 मिलियन

की प्रारंभिक राशि के साथ किया गया था। इस निधि में रिज़र्व बैंक की ओर से पात्र वित्तीय संस्थाओं को वित्तीय सहायता स्वरूप प्रदान किए गए वार्षिक सहयोग की राशि जमा की जाती है। 1992-93 से इस निधि में बैंक से प्रत्येक वर्ष ₹ 10 मिलियन की टोकन राशि जमा की जाती है। 30 जून 2015 की स्थिति के अनुसार इस निधि की राशि ₹ 0.24 बिलियन रही।

**बी. राष्ट्रीय आवास ऋण (दीर्घावधि परिचालन) निधि**

यह निधि भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 46डी के तहत राष्ट्रीय आवास बैंक को वित्तीय निभाव उपलब्ध कराने के लिए जनवरी 1989 में स्थापित की गई थी। ₹ 500 मिलियन की प्रारंभिक पूंजी को रिज़र्व बैंक द्वारा प्रदान किए जाने वाले वार्षिक सहयोग के माध्यम से बाद में बढ़ाया गया। वर्ष 1992-93 से प्रतिवर्ष बैंक की आय से सिर्फ ₹ 10 मिलियन की टोकन राशि ही इस निधि में जमा की जाती है। 30 जून 2015 की स्थिति के अनुसार इस निधि की राशि ₹ 1.98 बिलियन रही।

**सी. अन्य निधियों में अंशदान**

भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 46ए के तहत दो अन्य निधियों, नामतः राष्ट्रीय ग्रामीण ऋण (दीर्घावधि परिचालन) निधि और राष्ट्रीय ग्रामीण ऋण (स्थिरीकरण) निधि की स्थापना की गई है जो राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) की देखरेख में है और प्रत्येक निधि के लिए प्रति वर्ष ₹ 10 मिलियन की टोकन राशि नाबार्ड को प्रेषित की जाती है।

**iv) जमाराशियां**

इसके अंतर्गत बैंकों, केंद्र और राज्य सरकारों, अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं, जैसे, निर्यात-आयात बैंक (एग्जिम बैंक) और नाबार्ड, विदेशी केंद्रीय बैंकों, अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं की रिज़र्व बैंक में रखी जाने वाली जमाराशियां, कर्मचारी भविष्य निधि से संबंधति विविध खातों की राशि, और जमाकर्ता शिक्षा और जागरुकता निधि (डीईए निधि) की राशि होती हैं। वर्ष 2013-14 में डीईए निधि का सृजन जमाकर्ताओं के हितों में वृद्धि करने और इस प्रकार के अन्य संगत उद्देश्यों के लिए किया गया था। कुल जमाराशि 30 जून 2014 के ₹3,769.45 बिलियन की तुलना में 30 जून 2015 में 37.60 प्रतिशत की वृद्धि करते हुए ₹5,186.86 बिलियन रही।

**ए. जमाराशियां - सरकार**

रिज़र्व बैंक, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 20 और 21 के तहत केंद्र सरकार के बैंकर के रूप में तथा धारा 21(ए) के तहत हुए आपसी समझौते के तहत राज्य सरकारों के बैंकर के रूप में कार्य करता है। तदनुसार, केंद्र और राज्य सरकारें रिज़र्व बैंक के पास जमा राशि रखते हैं। 30 जून 2015 की स्थिति के अनुसार केंद्र और राज्य सरकारों की राशियों, क्रमशः ₹1.01 बिलियन और ₹0.43 बिलियन, का योग ₹1.44 बिलियन था।

**बी. जमाराशियां - बैंक**

बैंक, आरक्षित नकदी निधि अनुपात (सीआरआर) संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने एवं भुगतान और निपटान संबंधी दायित्वों का निर्वाह करने के लिए कार्यशील पूंजी हेतु रिज़र्व बैंक के पास अपने चालू खातों में जमाराशि रखते हैं। 30 जून 2015 की स्थिति के अनुसार बैंक की चालू खाता जमाराशि ₹3,946.85 बिलियन रही जबकि 30 जून 2014 को यह राशि ₹3,677.24 बिलियन थी, जो वर्ष के दौरान 7.33 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है।

**सी. जमाराशियां-अन्य**

'जमाराशि - अन्य' में भारतीय रिज़र्व बैंक कर्मचारी भविष्य निधि के प्रशासक की राशियां, जमाकर्ता शिक्षा

और जागरूकता निधि (डीईए निधि) की राशियां, विदेशी केंद्रीय बैंकों, भारतीय और अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं तथा बकाया रिवर्स रिपो की राशियां होती हैं। 2014-15 से, रिवर्स रिपो अंतरणों को बैंक के पास निधियों की जमाराशियों के रूप में माना जा रहा है एवं इसलिए बकाया रिवर्स रिपो अब 'जमाराशि-अन्य' का हिस्सा बन गया है। 'जमाराशियां-अन्य' के अंतर्गत राशि 30 जून 2014 के ₹90.79 बिलियन से 1,264.21 प्रतिशत बढ़कर 30 जून 2015 को ₹1,238.57 बिलियन हो गई जो प्रमुख रूप से बैंक द्वारा रिवर्स रिपो अंतरणों के अंतर्गत धारित राशियों के कारण है।

### v) अन्य देयताएं और प्रावधान

'अन्य देयताओं और प्रवाधानों' में ग्रेच्युटी और अधिवर्षिता निधि, एवं प्रावधान प्रमुख घटक होते हैं। 2013-14 तक, ग्रेच्युटी और अधिवर्षिता निधियों की राशियों को 'जमाराशि-अन्य' के अंतर्गत दर्शाया गया है। उन्हें अन्य देयताओं और प्रावधानों के अंतर्गत नहीं दर्शाया गया है। आकस्मिकता निधि और आस्ति विकास निधि क्रमशः आकस्मिक एवं आंतरिक पूंजी व्यय के लिए किए गए प्रावधानों को दर्शाता है, जबकि 'अन्य देयताओं' के शेष घटक, जैसे, मुद्रा और स्वर्ण पुनर्मूल्यन खाता (सीजीआरए), निवेश पुनर्मूल्यन खाता (आईआरए) और विदेशी मुद्रा वायदा संविदा पुनर्मूल्यन खाता (एफसीवीए) अप्राप्त बाजार मूल्य पर दर्शाए गए लाभ/हानि को दर्शाते हैं। अन्य देयताएं और प्रावधान 30 जून 2014 के ₹8,961.70 बिलियन से 0.63 प्रतिशत घटकर 30 जून 2015 को ₹8,905.03 बिलियन रह गए, जो प्रमुख रूप से सीजीआरए की राशियों में गिरावट के कारण हुआ।

### ए. आकस्मिकता निधि

आकस्मिकता निधि (पूर्व में आकस्मिकता आरक्षित निधि) अप्रत्याशित और अनदेखी आकस्मिकताओं से निपटने के लिए वर्ष-दर-वर्ष आधार पर अलग से रखी गई राशि को दर्शाती है। इसमें प्रतिभूतियों के मूल्य में गिरावट और मौद्रिक/विनिमय दर नीतिगत परिचालनों से उत्पन्न जोखिम, प्रणालीगत जोखिम और बैंक को दिए गए विशेष उत्तरदायित्वों के कारण पैदा होने वाले जोखिम शामिल हैं।

### बी. आस्ति विकास निधि

1997-98 में सृजित आस्ति विकास निधि (पूर्व में आस्ति विकास आरक्षित निधि) आंतरिक पूंजीगत खर्चों को पूरा करने तथा अनुषंगी संस्थाओं और सहायक संस्थाओं में निवेश करने के लिए प्रत्येक वर्ष आय में से उपलब्ध कराई गई राशि को दर्शाती है। वर्ष के दौरान, राष्ट्रीय आवास बैंक में बतौर पूंजी और निवेश किए जाने हेतु ₹10 बिलियन की अतिरिक्त राशि प्रदान की गई।

### सी. मुद्रा और स्वर्ण पुनर्मूल्यन खाता (सीजीआरए)

सर्वोत्तम अंतरराष्ट्रीय प्रथाओं का पालन करते हुए, स्वर्ण मूल्य में उतार-चढ़ाव के कारण विदेशी मुद्रा आस्तियों (एफसीए) और स्वर्ण के मूल्यन के परिणामस्वरूप होने वाले अप्राप्त लाभ/हानि को आय विवरण में शामिल नहीं किया जाता है, बल्कि इसे तुलन-पत्र की मुद्रा और स्वर्ण पुनर्मूल्यन (सीजीआरए) मद के अंतर्गत शामिल किया जाता है। सीजीआरए, एफसीए और स्वर्ण के मूल्यन के परिणामस्वरूप होने वाले अप्राप्त लाभ की संचित निवल राशि को दर्शाता है एवं इसलिए, इसका आकार आस्ति आधार के आकार और विनिमय दर तथा स्वर्ण मूल्य में उतार-चढ़ाव के अनुसार बदलता है। 2014-15 के दौरान, सीजीआरए की राशि 30 जून 2014 के ₹5,721.63 बिलियन से 2.27 प्रतिशत घटकर 30 जून 2015 को ₹5,591.93 बिलियन रह गई, जो मुख्य रूप से अन्य प्रमुख मुद्राओं की तुलना

में अमरीकी डॉलर के मूल्य में वृद्धि तथा स्वर्ण मूल्य में गिरावट के कारण हुई।

### डी. निवेश पुनर्मूल्यन खाता (आईआरए)

दिनांकित विदेशी प्रतिभूतियों का मूल्यन प्रत्येक माह के अंतिम कारोबारी दिवस के बाजार मूल्यों के अनुसार किया जाता है और उससे होने वाले अप्राप्त लाभ/हानि को आईआरए में अंतरित किया जाता है। 30 जून 2015 की स्थिति के अनुसार आईआरए में ₹32.14 बिलियन राशि थी जबकि 30 जून 2014 को यह राशि ₹37.91 बिलियन थी।

### ई. विदेशी मुद्रा वायदा संविदा मूल्यन खाता (एफसीवीए) और वायदा संविदा मूल्यन खाते (पीएफसीवीए) के लिए प्रावधान

30 जून 2015 की स्थिति के अनुसार बकाया वायदा संविदा के एमटीएम में ₹0.39 बिलियन की निवल हानि हुई, जिसे पीएफसीवीए में प्रतिपक्षी जमा करने के साथ एफसीवीए में नामे डाला गया। वर्तमान नीति के अनुसार, एफसीवीए में ₹0.39 बिलियन के नामे शेष को 30 जून 2015 को आकस्मिकता निधि से समायोजित किया गया और इसे 01 जुलाई 2015 को रिवर्स किया गया। तदनुसार, 30 जून 2015 की स्थिति के अनुसार एफसीवीए और पीएफसीवीए की राशियां क्रमशः शून्य और ₹0.39 बिलियन थीं जबकि यह 30 जून 2014 की स्थिति के अनुसार क्रमशः ₹42.98 बिलियन तथा शून्य थीं। सीजीआरए, आईआरए, एफसीवीए और पीएफसीवीए के गत पांच वर्षों की राशियों की स्थिति नीचे सारणी XII.3 में दी गई है।

### एफ. भारत सरकार को अंतरित किए जाने योग्य अधिशेष

भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 47 के अंतर्गत, अशोध्य और संदिग्ध ऋणों, आस्तियों में

**सारणी XI.3: मुद्रा और स्वर्ण पुनर्मूल्यन खाते (सीजीआरए), विदेशी मुद्रा वायदा संविदा मूल्यांकन खाते (एफ़सीवीए), वायदा संविदा मूल्यांकन खाते का प्रावधान (पीएफ़सीवीए) और निवेश पुनर्मूल्यन खाते (आईआरए) में शेष राशियाँ**

(₹ बिलियन)

| 30 जून की स्थिति | मुद्रा और स्वर्ण पुनर्मूल्यन खाता (सीजीआरए) | विदेशी मुद्रा वायदा संविदा मूल्यांकन खाते (एफसीवीए)# | वायदा संविदा मूल्यांकन खाते का प्रावधान (पीएफसीए)@ | निवेश पुनर्मूल्यन खाते (आईआरए) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2011 | 1,822.86 | 0.01 | -- | 42.69 |
| 2012 | 4,731.72 | 24.05 | -- | 122.22 |
| 2013 | 5,201.13 | 16.99 | -- | 24.85 |
| 2014 | 5,721.63 | 42.98 | 0.00 | 37.91 |
| 2015 | 5,591.93 | 0.00 | 0.39 | 32.14 |

# 2012-13 तक तुल्य खाता, विनिमय समकारी खाता(ईईए) था;
@ 2013-14 के दौरान आरंभ किया गया

मूल्यह्रास, स्टाफ और अधिवर्षिता निधि में अंशदान और उन सभी मामलों के लिए जिसके लिए इस अधिनियम द्वारा या के अंतर्गत प्रावधान किए जाने हैं या जो बैंकर्स द्वारा प्रायः प्रदान किए जाते हैं, हेतु प्रावधान करने के बाद बैंक के लाभ की शेष राशि को केंद्र सरकार को भुगतान करना अपेक्षित होता है। भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 48 के अंतर्गत बैंक को किसी प्रकार के आयकर अथवा अतिकर अथवा अपनी आय, लाभ अथवा अभिलाभ पर किसी प्रकार के अन्य कर का भुगतान नहीं करना है और धन कर का भुगतान करने से भी बैंक को छूट प्राप्त है। तदनुसार, सांविधिक निधि के लिए ₹0.04 बिलियन की राशि का योगदान सहित व्यय का समायोजन करने के बाद और आवश्यक प्रावधानों के बाद वर्ष 2014-15 के लिए भारत सरकार को अंतरित किए जाने योग्य कुल राशि ₹658.96 बिलियन है (इसमें पिछले वर्ष के ₹12.69 बिलियन की तुलना में ₹11.46 बिलियन शामिल है जो विशेष प्रतिभूतियों को बिक्री योग्य प्रतिभूतियों में परिवर्तित करने पर सरकार द्वारा वहन ब्याज व्यय-अंतर के रूप में देय है)।

**जी) देय बिल**

रिज़र्व बैंक अपने ग्राहकों के लिए धन-प्रेषण सुविधा उपलब्ध कराता है और स्वयं की भुगतान संबंधी आवश्यकता को मांग ड्राफ्ट(डीडी) और भुगतान आदेश(पीओ) (इलेक्ट्रानिक भुगतान प्रणाली के अतिरिक्त) जारी करके पूरा भी करता है। इस मद की शेष राशि बिना दावे के डीडी/पीओ दर्शाती है। इस मद के तहत बकाया कुल राशि 30 जून 2014 के ₹0.37 बिलियन से घटकर 30 जून 2015 को ₹0.17 बिलियन रह गई जिसका मुख्य कारण डीडी/पीओ को कम इस्तेमाल करना था।

**एच) विविध**

यह अवशिष्ट मद है जिसमें निश्चित प्रतिभूतियों पर प्राप्त होने वाले ब्याज, छुट्टी का नकदीकरण आदि मदें शामिल हैं। 2013-14 तक इस मद में रेपो लेनदेनों पर रखी मार्जिन शामिल थी जिसे अब चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) और सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ) के अंतर्गत रेपो की लेखा-पद्धति में परिवर्तन के कारण समाप्त कर दी गयी है। इस मद के तहत शेष राशि 30 जून 2014 के ₹68.24 बिलियन से घटकर 30 जून 2015 को ₹30.83 बिलियन रह गई जिसका कारण एलएएफ़ और एमएसएफ़ के अंतर्गत रेपो के संबंध में मार्जिन लेखांकन की समाप्ति था।

**vi. निर्गम विभाग की देयताएं - जारी किए गए नोट**

निर्गम विभाग की देयताओं से परिचालनगत करेंसी नोटों की मात्रा का पता चलता है। भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम की धारा 34 (1) में अपेक्षा की गई है कि 1 अप्रैल, 1935 से रिज़र्व बैंक द्वारा जारी सभी बैंक नोटों तथा रिज़र्व बैंक का संचालन प्रारम्भ होने से पहले भारत सरकार द्वारा जारी करेंसी नोटों को निर्गम विभाग की देयताओं में शामिल किया जाना चाहिए। परिचालनगत करेंसी नोटों की संख्या 9.57 प्रतिशत से बढ़कर 30 जून 2015 की स्थिति के अनुसार ₹14,732.43 बिलियन हो गई जबकि यह 30 जून 2014 की स्थिति के अनुसार ₹13,445.16 बिलियन थी।

**XI.11.2 आस्तियां**

**11.2.1 बैंकिंग विभाग(बीडी) की आस्तियां**

आस्तियों में नोट, रुपया सिक्के और छोटे सिक्के, सोने के सिक्के और बुलियन, विदेशी करेंसी आस्तियां, रुपये प्रतिभूतियों में निवेश, खरीदे गए और भुनाए गए बिल, ऋण और अग्रिम, सहयोगी संस्थाओं में निवेश, अन्य आस्तियां दर्शाई जाती हैं। इसका विस्तृत ब्यौरा निम्नानुसार है:

**i) नोट, रुपया सिक्के और छोटे सिक्के**

यह रिज़र्व बैंक बैंकिंग कार्यों की दैनिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बैंकिंग विभाग के वाल्ट में रखे बैंक नोटों, एक रुपया के नोटों, 1, 2, 5 और 10 रुपयों के रुपया सिक्कों तथा छोटे सिक्कों की राशि है। 30 जून 2015 की स्थिति के अनुसार शेष राशि ₹0.11 बिलियन थी जो 30 जून 2014 की राशि के बराबर है।

**ii) स्वर्ण सिक्के और बुलियन**

रिज़र्व बैंक के पास 557.75 मेट्रिक टन स्वर्ण है जिसमें से 292.26 मेट्रिक टन जारी किए गए नोटों को सहारा देने के लिए धारित किया जाता है और उसे निर्गम विभाग की आस्ति के रूप में अलग से दर्शाया जाता है। 265.49 मेट्रिक टन की शेष राशि बैंकिंग विभाग की आस्ति के रुप में मानी जाती है। बैंकिंग विभाग के पास धारित स्वर्ण का मूल्य 30 जून 2014 के ₹590.24 बिलियन से 30 जून 2015 को 1.93 प्रतिशत घटकर ₹578.84 बिलियन रह गया, इसका मुख्य कारण सोने के अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों में कमी आना है।

**iii) खरीदे और भुनाए गए बिल**

भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 के अंतर्गत रिज़र्व बैंक वाणिज्यिक बिलों की खरीद तथा उनको भुनाने का कार्य कर सकता है किन्तु 2014-15 में ऐसा कोई कार्य नहीं किया

गया है। परिणामस्वरुप, 30 जून 2015 की स्थिति के अनुसार रिज़र्व बैंक की लेखा पुस्तिकाओं में इस प्रकार की कोई भी आस्ति उपलब्ध नहीं है।

### iv) विदेशी निवेश - बैंकिंग विभाग(बीडी)

रिज़र्व बैंक की विदेशी मुद्रा आस्तियों (एफ़सीए) को तुलन-पत्र में निम्नलिखित दो शीर्षों के अंतर्गत दर्शाया गया है: (क) 'निवेश-बीडी' जिसे बैंकिंग विभाग की आस्तियों के अंतर्गत एक अलग मद के रुप में दर्शाया गया है तथा (ख) 'निवेश- विदेश-आईडी' जिसे निर्गम विभाग के आस्तियों के रूप में दर्शाया गया है जैसाकि "निर्गम विभाग आस्तियां" पर पैराग्राफ में उल्लेख किया गया है। निवेश-विदेश- बीडी में (i) अन्य केन्द्रीय बैंकों में जमाराशियाँ, (ii) अंतर्राष्ट्रीय निपटान बैंक (बीआईएस में जमाराशियाँ), (iii) वाणिज्य बैंकों की विदेशी शाखाओं में शेष, (iv) विदेशी खजाना बिलों और प्रतिभूतियों में निवेश तथा (v) वर्ष के दौरान भारत सरकार से प्राप्त विशेष आहरण अधिकार (एसडीआर) शामिल हैं। निवेश-विदेश-आईडी में जमाराशियाँ, खजाना बिल और दिनांकित प्रतिभूतियाँ शामिल हैं। पिछले दो वर्षों से संबंधित रिज़र्व बैंक की विदेशी मुद्रा आस्तियों की स्थिति सारणी XI.4 में दी गई है।

**सारणी XI.4: विदेशी मुद्रा आस्तियों का विवरण (एफसीए)**

(₹ बिलियन)

| | विवरण | 30 जून की स्थिति | |
|---|---|---|---|
| | | 2014 | 2015 |
| | 1 | 2 | 3 |
| I | निर्गम विभाग की आस्तियां<br>निवेश- विदेशी- निर्गम विभाग ( निर्गम विभाग के 2013-14 के तुलनपत्र के अंतर्गत विदेशी प्रतिभूतियां) | 12,783.31 | 14,082.75 |
| II | बैंकिंग विभाग में रखी गयी आस्तियां | | |
| | क) 'निवेशों' में शामिल (2013-14 तक) | 1,069.45 | 0.00* |
| | ख) निवेश- विदेशी- बैंकिंग विभाग | 3,726.76 | 7,276.29@ |
| | **कुल** | 17,579.52 | 21,359.04 |

* : बीआईएस और स्विफ्ट शीर्ष के अंतर्गत धारित विदेशी प्रतिभूतियां तथा शेयर को वर्ष के दौरान निवेश- विदेशी- बैंकिंग विभाग में अंतरित किया गया है।

@ : ₹ 99.08 बिलियन की एसडीआर मूल्य शामिल है।

**टिप्पणियां :**

1. 30 जून 2015 को अंतरराष्ट्रीय निपटान बैंक के अंशत: चुकता शेयरों की न मांगी गई राशि ₹ 1.08 बिलियन (एसडीआर 12,041,250) थी। पिछले वर्ष यह राशि ₹ 1.12 बिलियन (एसडीआर 12,041,250) थी।
2. भारतीय रिज़र्व बैंक 8.74 बिलियन एसडीआर (₹ 783.74 बिलियन/12.29 बिलियन अमरीकी डालर) की अधिकतम राशि तक आईएमएफ की उधार के लिए नई व्यवस्था के अंतर्गत नोट खरीद करार के अंतर्गत पहले ही किये गये वायदे के अनुसार 10 बिलियन अमरीकी डालर (₹ 637.55 बिलियन) शामिल है ,संसाधन उपलब्ध कराने के लिए तैयार हो गया है। 30 जून 2015 को उधार के लिए नई व्यवस्था के अंतर्गत 0.84 बिलियन एसडीआर (₹ 75.22 बिलियन/1.18 बिलियन अमरीकी डालर) की राशि निवेश की गई है।
3. भारतीय रिज़र्व बैंक इंडियन इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनैंस कंपनी यूके द्वारा जारी बांडों में एक राशि, जिसका कुल 5 बिलियन अमरीकी डालर (₹ 318.77 बिलियन) से अधिक नहीं होना चाहिए निवेश के लिए सहमत हो गया है। 30 जून 2015 तक, भारतीय रिज़र्व बैंक ने ऐसे बांडों में 2.10 बिलियन अमरीकी डालर (₹ 133.89 बिलियन) का निवेश किया गया है।
4. भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा आईएमएफ के साथ किए गए नोट खरीद करार (एनपीए) 2012 के अनुसार, रिज़र्व बैंक 10 बिलियन अमरीकी डालर (₹ 637.55 बिलियन) तक की राशि के आईएमएफ के एसडीआर मूल्यवर्गीत नोट की खरीद कर सकता है।
5. वर्ष 2013-14 के दौरान रिज़र्व बैंक और भारत सरकार के बीच समझौता ज्ञापन हुआ जिसके अनुसार चरणबद्ध तरीके से एसडीआर का अंतरण भारत सरकार से रिज़र्व बैंक में किया जाएगा। 30 जून 2015 को समाप्त वर्ष के दौरान एसडीआर 0.57 बिलियन (₹ 51.16 बिलियन, 0.82 बिलियन अमरीकी डालर) का अंतरण रिज़र्व बैंक को किया गया । 30 जून 2015 को रिज़र्व बैंक में एसडीआर शेष धारिता 1.1 बिलियन (₹ 99.08 बिलियन, 1.55 बिलियन अमरीकी डालर) थीं।
6. रिज़र्व बैंक ने सार्क स्वैप करार के अंतर्गत सार्क सदस्य देशों को क्षेत्रीय वित्तीय तथा आर्थिक सहयोग को सुदृढ़ करने की दृष्टि से विदेशी मुद्रा तथा भारतीय रुपये मिलाकर 2 बिलियन अमरीकी डालर की राशि देने की सहमति दी है। 30 जून 2015 को समाप्त वर्ष के दौरान इस करार के अंतर्गत श्रीलंका (श्रीलंका के केंद्रीय बैंक को) ने 0.4 बिलियन अमरीकी डालर (₹ 25.50 बिलियन) की राशि का उपयोग किया है।

### v) निवेश - घरेलू - बीडी

निवेश में दिनांकित सरकारी रुपया प्रतिभूतियाँ, खजाना बिल और विशेष तेल बॉन्ड शामिल हैं। तथापि, 30 जून 2015 की स्थिति के अनुसार बैंक के पास कोई खजाना बिल नहीं था। रिज़र्व बैंक द्वारा धारित देशी प्रतिभूतियाँ जो बैंक के निवेश के भाग के रूप में धारित थी वह 22.58 प्रतिशत से घटकर 30 जून 2014 की स्थिति के अनुसार ₹6,684.68 बिलियन से 30 जून 2015 की स्थिति के अनुसार ₹5174.97 बिलियन रह गई। इस गिरावट के कारण थे (क) एलएएफ और एमएसएफ के अंतर्गत रेपो/प्रतिवर्ती रेपो की लेखा-पद्धति में परिवर्तन (ख) बैंक द्वारा आयोजित चलनिधि प्रबंधन परिचालन तथा (ग) वर्ष 2014-15 के दौरान परिपक्व होने वाली भारत सरकार की प्रतिभूतियाँ।

### vi) ऋण और अग्रिम

#### *ए) केंद्र और राज्य सरकारें*

ये ऋण भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम की धारा 17(5) के अनुसार अर्थोपाय अग्रिमों (डब्ल्यूएमए) के रूप में प्रदान किए जाते हैं। केंद्र सरकार के मामले में सीमाएं उनसे विचार-विमर्श करके समय-समय पर तय की जाती हैं। राज्य सरकारों के मामले में सीमाएं, इस प्रयोजन हेतु गठित सलहकार समिति समूह की सिफ़ारिशों के आधार पर तय की जाती हैं। 30 जून 2015 और 30 जून 2014 की स्थिति के अनुसार केंद्र सरकार को देय कोई ऋण और अग्रिम बकाया नहीं थे। 30 जून 2015 की स्थिति के अनुसार राज्य सरकारों को प्रदान किए गए ऋण और अग्रिम ₹25.77 बिलियन था जबकि 30 जून 2014 को यह राशि ₹6.66 बिलियन थी।

#### *बी) वाणिज्य और सहकारी बैंकों को ऋण और अग्रिम*

इसमें मुख्यतः निर्यात ऋण पुनर्वित्त (ईसीआर) सुविधा के अंतर्गत रिज़र्व बैंक से पात्र बकाया निर्यात ऋण के बदले प्राप्त पुनर्वित्त, तथा चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) और सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ) के अंतर्गत रेपो के अंतर्गत बकाया राशि शामिल हैं। वर्ष 2014-15 से एलएएफ़ और एमएसएफ़ को उधार के रूप में माना जा रहा है और उसे इस मद में दर्शाया जा रहा है जिसके परिणामस्वरुप इस मद के अंतर्गत शेषराशि 147.87 प्रतिशत बढ़कर 30 जून 2014 के ₹295.51 बिलियन से बढ़कर 30 जून 2015 की स्थिति के अनुसार ₹732.48 बिलियन हो गई।

#### *सी) नाबार्ड को ऋण और अग्रिम*

रिज़र्व बैंक, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम 1934 की धारा 17(4ई) के तहत नाबार्ड को ऋण प्रदान कर सकता है। 30 जून 2015 की स्थिति के अनुसार कोई ऋण बकाया नहीं है।

#### *डी) अन्य को ऋण और अग्रिम*

इस मद के शेष में राष्ट्रीय आवास बैंक (एनएचबी), भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) को दिए गए ऋण और अग्रिम, प्राथमिक व्यापारियों (पीडी) को उपलब्ध कराई गई चलनिधि सहायता तथा प्राथमिक व्यापारियों के साथ संचालित ₹44.07 बिलियन का बकाया रेपो/मीयादी रेपो शामिल रहते हैं। इस मद के अंतर्गत शेष राशि 35.81 प्रतिशत से घटकर 30 जून 2014 की स्थिति के अनुसार ₹68.66 बिलियन से 30 जून 2015 की स्थिति के अनुसार ₹44.07 बिलियन रह गई जिसका प्रमुख कारण था सिडबी द्वारा ऋण की चुकौती।

### vii) सहयोगी संस्थाओं में निवेश

30 जून की स्थिति के अनुसार सहयोगी संस्थाओं / सहायक में धारिताओं का ब्यौरा सारणी XI.5 में प्रस्तुत है।

**सारणी XI.5: सहायक संस्थाओं में धारिताएँ**

(राशि ₹ बिलियन में)

| | | लागत | % धारिता |
|---|---|---|---|
| 1 | | 2 | 3 |
| ए) | निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम (डीआईसीजीसी) | 0.50 | 100 |
| बी) | राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) | 0.20 | 1 |
| सी) | राष्ट्रीय आवास बैंक (एनएचबी) | 4.50 | 100 |
| डी) | भारतीय रिज़र्व बैंक नोट मुद्रण प्रा.लि. (बीआरबीएनएमपीएल) | 8.00 | 100 |
| **कुल** | | **13.20** | |

### viii) अन्य आस्तियां

ए) 'अन्य आस्तियां' में अचल आस्तियां (मूल्यह्रास की निवल राशि), देशी और विदेशी निवेशों पर उपचित आय, स्वैप परिशोधन खाता (एसएए), वायदा संविदा खाते का पुनर्मूल्यांकन (आरएफ़सीए) में धारित शेष राशियाँ तथा विविध आस्तियां होती हैं। विविध आस्तियों में मुख्य रूप से स्टाफ को दिए गए ऋण और अग्रिम, अपूर्ण परियोजनाओं पर किया गया व्यय, अदा की गई प्रतिभूति जमाराशि आदि होते हैं। 'अन्य आस्तियां' में बकाया राशि 8.66 प्रतिशत से घटकर 30 जून 2014 की स्थिति के अनुसार ₹343.13 बिलियन से जून 2015 की स्थिति के अनुसार ₹313.43 बिलियन हो गई जिसका मुख्य कारण वायदा संविदा पर 30 जून 2014 की स्थिति के अनुसार प्रतिभूतियों के दैनिक बाज़ार मूल्य में लाभ के बजाय 30 जून 2015 की स्थिति के अनुसार प्रतिभूतियों के दैनिक बाज़ार मूल्य में हानि थी।

### बी) स्वैप परिशोधन खाता (एसएए)

स्वैप के मामले में,जिसकी दरें बाजार की दरों से कम हैं और उसका स्वरुप रेपो है, वायदा संविदा दर को उस दर से,जिसके आधार पर संविदा किया गया है, घटाकर संविदा की संपूर्ण अवधि में परिशोधित किया जा रहा है और इसे स्वैप परिशोधन खाते (एसएए) में धारण किया गया है। इस खाते में शेष राशि 59 प्रतिशत से बढ़कर 30 जून 2014 की स्थिति के अनुसार ₹59.30 बिलियन से 30 जून 2015 की स्थिति के अनुसार ₹94.33 बिलियन हो गई। इस खाते में धारित राशियों को अंतर्निहित संविदाएं परिपक्व हो जाने पर रिवर्स कर दिया जाएगा।

### सी) वायदा संविदा खाता पुनर्मूल्यन (आरएफसीए)

वायदा संविदा जो मध्यक्षेप कार्यों के हिस्से के रुप में दर्ज किए जाते हैं वे 30 जून को बाज़ार भाव पर दर्शाए जाते हैं। निवल लाभों को आरएफसीए में दर्ज करना अपेक्षित है और उसे अंतर्निहित संविदा की परिपक्वता पर रिवर्स कर दिया जाना चाहिए। वायदा संविदाओं पर दैनिक बाज़ार मूल्यों की हानि के कारण 30 जून 2015 की स्थिति के अनुसार इस खाते में कोई शेष राशि नहीं थी।

### 11.2.2 निर्गम विभाग की आस्तियां

जारी किए गए नोटों को सहारा प्रदान करने के लिए निर्गम विभाग द्वारा धारित पात्र आस्तियों में स्वर्ण सिक्के और बुलियन, रुपया सिक्का, विदेशी मुद्रा आस्तियां, भारत सरकार की बिना ब्याज वाली रुपया प्रतिभूतियां तथा देशी विनिमय पत्र और अन्य वाणिज्यिक पत्र शामिल किए जाते हैं। रिज़र्व बैंक के पास 557.75 मेट्रिक टन स्वर्ण है जिसमें से 292.26 मेट्रिक टन भारत में जारी किए गए नोटों को सहारा देने के लिए रखा गया है (सारणी XI. 6)। जारी किए गए नोटों को सहारा देने के लिए धारित स्वर्ण का मूल्य 30 जून 2014 की स्थिति के अनुसार ₹ 649.78 बिलियन से 1.93 प्रतिशत घटकर 30 जून 2015 की स्थिति के अनुसार ₹ 637.23 बिलियन रह गया है जिससे बुलियन के अंतरराष्ट्रीय मूल्यों में कमी का पता चलता है। जारी किए गए नोटों में वृद्धि होने के परिणामस्वरूप, जारी किए गए नोटों को सहारा देने के लिए धारित विदेशी मुद्रा आस्तियां जो 30 जून 2014 की स्थिति के अनुसार ₹ 12,783.31 बिलियन थीं वे 10.17 प्रतिशत से बढ़कर 30 जून 2015 की स्थिति के अनुसार ₹ 14,082.75 बिलियन हो गईं। निर्गम विभाग द्वारा धारित रुपया सिक्कों की शेष राशि 30 जून 2014 की स्थिति के अनुसार ₹1.72 बिलियन थी जो 15.70 प्रतिशत से बढ़कर 30 जून 2015 की स्थिति के अनुसार ₹1.99 बिलियन हो गई। बिना ब्याज के रुपया प्रतिभूतियों की राशि में कोई परिवर्तन नहीं आया और वे ₹10.46 बिलियन के स्तर पर बनी रहीं।

**सारणी XI.6: स्वर्ण की भौतिक धारिता**

| | 30 जून 2014 की स्थिति | 30 जून 2015 की स्थिति |
|---|---|---|
| | मात्रा मेट्रिक टन में | मात्रा मेट्रिक टन में |
| 1 | 2 | 3 |
| जारी किए गए नोट को सहारा देने हेतु धारित स्वर्ण (भारत में धारित) | 292.26 | 292.26 |
| बैंकिंग विभाग की आस्ति के रुप में धारित स्वर्ण (विदेश में धारित) | 265.49 | 265.49 |
| **कुल** | **557.75** | **557.75** |

## सारणी XI.7(ए): विदेशी मुद्रा भंडार

(₹ बिलियन में)

| | 30 जून की स्थिति के अनुसार | | घटबढ़ | |
|---|---|---|---|---|
| | 2014 | 2015 | समग्र | प्रतिशत |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| विदेशी मुद्रा आस्तियां (एफसीए) | 17,530.21^ | 21,100.56# | 3,570.35 | 20.37 |
| स्वर्ण | 1,240.02 | 1,216.07@ | (-) 23.94 | (-) 1.93 |
| विशेष आहरण अधिकार (एसडीआर) | 268.31 | 259.03 | (-) 9.28 | (-) 3.46 |
| आईएमएफ में रिज़र्व की स्थिति | 103.23 | 83.96 | (-) 19.27 | (-) 18.67 |
| विदेशी मुद्रा भंडार (एफईआर) | 19,141.77 | 22,659.62 | 3,517.86 | 18.38 |

^ : इसमें रिज़र्व बैंक के पास ₹49.31 बिलियन की एसडीआर धारिता शामिल नहीं है, इसे एसडीआर धारिता के अंतर्गत शामिल किया गया है।

# : (क) भारत सरकार से ग्रहीत रिज़र्व बैंक की एसडीआर होल्डिंग, जो ₹ 99.08 बिलियन बैठती है, जिसे एसडीआर होल्डिंग के तहत शामिल किया गया है, (ख) आईआईएफसी (यूके) द्वारा निर्गत बांड्स में ₹ 133.89 बिलियन के निवेश और (ग) सार्क देशों के लिए उपलब्ध कराए गए करेंसी स्वैप के तहत श्री लंका को उधार दिए गए ₹ 25.50 बिलियन, को छोड़कर।

@ : इसमें से ₹ 637.23 बिलियन कीमत के स्वर्ण को निर्गम विभाग की आस्ति के रूप में और ₹ 578.84 बिलियन के स्वर्ण को बैंकिंग विभाग की आस्ति के रूप में धारित रखा गया है।

## सारणी XI.7(बी): विदेशी मुद्रा भंडार

(₹ बिलियन में)

| | 30 जून की स्थिति के अनुसार | | घटबढ़ | |
|---|---|---|---|---|
| | 2014 | 2015 | समग्र | प्रतिशत |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| विदेशी मुद्रा आस्तियां (एफसीए) | 289.32* | 331.55** | 42.23 | 14.59 |
| स्वर्ण | 20.63 | 19.07 | (-) 1.56 | (-) 7.56 |
| विशेष आहरण अधिकार (एसडीआर) | 4.47 | 4.06 | (-) 0.41 | (-) 9.17 |
| आईएमएफ में रिज़र्व की स्थिति | 1.72 | 1.32 | (-) 0.40 | (-) 23.26 |
| विदेशी मुद्रा भंडार (एफईआर) | 316.14 | 356.00 | 39.86 | 12.61 |

* : आइआइएफसी (यूके) बांडों में निवेशित 1,181 मिलियन अमरीकी डालर की राशि तथा रिज़र्व बैंक द्वारा ग्रहीत 820.56 मिलियन अमरीकी डालर के बराबर एसडीआर इसमें शामिल नहीं हैं।

** : (क) भारत सरकार से रिज़र्व बैंक द्वारा ग्रहीत 1,554 मिलियन यूएस डालर के समतुल्य एसडीआर, जिसे एसडीआर होल्डिंग के तहत शामिल किया गया है, (ख) आईआईएफसी (यूके) द्वारा निर्गत बांड्स में 2,100 मिलियन यूएस डालर के निवेश और (ग) सार्क देशों के लिए उपलब्ध कराए गए करेंसी स्वैप के तहत श्री लंका से प्राप्त 400 मिलियन यूएस डालर के समतुल्य एलकेआर, को छोड़कर।

### XI.12 विदेशी मुद्रा आस्तियां (एफसीए) एवं विदेशी मुद्रा रिज़र्व (एफईआर)

विदेशी मुद्रा रिज़र्व (एफईआर) में स्वर्ण, विशेष आहरण अधिकार (एसडीआर) एवं रिज़र्व ट्रान्च स्थिति (आरटीपी) के अलावा मुख्य रूप से एफसीए, शामिल है। रिज़र्व ट्रान्च स्थिति आईएमएफ में बैंक द्वारा विदेशी मुद्रा में अंशदान के रूप में है और वह बैंक के तुलन पत्र का हिस्सा नहीं है। 30 जून 2014 एवं 30 जून 2015 की स्थिति के अनुसार हमारे विदेशी मुद्रा भंडार की स्थिति भारतीय रुपए और अमरीकी डॉलर, जो हमारे विदेशी मुद्रा भंडार के लिए मूल्यमान मुद्रा है, के रूप में निम्नानुसार (सारणी XI.7 क एवं ख) है।

### आय और व्यय का विश्लेषण

#### आय

XI.13 रिज़र्व बैंक की आय के मुख्य घटक ब्याज से होने वाली प्राप्तियां और अन्य मदें हैं जिसमें (i) डिस्काउंट, (ii) विनिमय, (iii) कमीशन तथा (iv) प्राप्त किराया, बैंक की संपत्ति की बिक्री से प्राप्त लाभ अथवा हानि तथा, ऐसे प्रावधान जिनकी अब आवश्यकता नहीं है, शामिल हैं। इनमें, ब्याज से प्राप्त आय का हिस्सा प्रमुख होता है तथा अन्य स्रोतों जैसे-डिस्काउंट, विनिमय, कमीशन तथा अन्य से प्राप्त होने वाली आय का हिस्सा अपेक्षाकृत कम रहता है।

## विदेशी स्त्रोतों से आय

XI.14 विदेशी स्त्रोतों से होने वाली आय में 30.2 प्रतिशत की इज़ाफा हुआ, यह 2013-14 में ₹197.68 बिलियन थी जो 2014-15 में ₹257.44 बिलियन हो गई। इसका मुख्य कारण विदेशी मुद्रा आस्तियों के आकार में बढोतरी होना रहा जो 30 जून 2014 की स्थिति के अनुसार ₹17,579.52 बिलियन था और 30 जून 2015 की स्थिति के अनुसार यह बढ़कर ₹21, 359.03 बिलियन हो गया। विदेशी मुद्रा आस्तियों पर होने वाली आय की दर 2013-14 की 1.21 प्रतिशत की तुलना में यह 2014-15 में 1.36 प्रतिशत उच्चतर थी (सारणी XI.8)।

## घरेलू स्त्रोतों से आय

XI.15 घरेलू स्त्रोतों से होने वाली निवल आय में 19.29 प्रतिशत का इज़ाफा हुआ, यह 2013-14 के ₹448.49 बिलियन से बढ़कर 2014-15 में ₹535.00 बिलियन हो गई, इसका मुख्य कारण रुपए में अंकित प्रतिभूतियों में मूल्यह्रास के कम होने के कारण हुआ क्योंकि पूरे वर्ष के दौरान सरकारी प्रतिभूतियों के मूल्य एक सीमित दायरे में बने रहे। मूल्यह्रास में ₹382.17 बिलियन की उल्लेखनीय कमी आई जिसने काफी हद तक प्रतिभूतियों की बिक्री पर अर्जित कम लाभ को समायोजित कर दिया क्योंकि बैंक की धारिता में से सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश करने की पूर्व व्यवस्था के बजाय अब रिज़र्व बैंक द्वारा वर्ष के दौरान भारित औसत दर पर की जाने वाली मीयादी नीलामियों के आधार पर केंद्र सरकार को क्षतिपूर्ति की जाती है। घरेलू स्त्रोतों से होने वाली आय का विवरण सारणी XI.9 में दिया गया है।

XI.16 2014-15 में कूपन प्राप्तियां ₹436.30 बिलियन रहीं जो 2013-14 में ₹470.53 बिलियन की तुलना में कुछ कम थी क्योंकि खुला बाजार परिचालनों (ओएमओ) की बिक्री (एनडीएस-ओएम पर हुई बिक्री सहित) और परिपक्वता पर प्रतिभूतियों के मोचन के कारण रिज़र्व बैंक की रुपए में अंकित प्रतिभूतियों की धारिता में कमी आई। वर्ष के दौरान कोई ओएमओ खरीद नहीं की गई।

XI.17 एलएएफ और एमएसएफ से हुई निवल ब्याज आय में रेपो ओर एमएसएफ पर ब्याज तथा बैंक द्वारा रिवर्स रेपो पर अदा किए गए ब्याज को घटाकर 60.53 प्रतिशत की कमी आई, यह 2013-14 में ₹76.47 बिलियन थी जबकि 2014-15 में यह ₹30.17 बिलियन थी क्योंकि भारिबैं द्वारा प्रदान की गई सुविधा (रेपो, रिवर्स रेपो, एमएसएफ, मीयादी रेपो और मीयादी रिवर्स रेपो) के माध्यम से औसत दैनिक निवल चलनिधि का अंतर्वाह कम किया गया।

XI.18 केंद्र और राज्य सरकारों से अर्थोपाय अग्रिमों (डब्ल्यूएमए)/ ओवरड्राफ्ट (ओडी) पर ब्याज से होने वाली आय में 21.91 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई, 30 जून 2014 की स्थिति के अनुसार यह ₹3.88 बिलियन थी जबकि 30 जून 2015 की स्थिति के अनुसार यह ₹4.73 बिलियन थी। केंद्र सरकार से अर्थोपाय अग्रिमों/ओवरड्राफ्ट पर ब्याज की मद में 2014-15 के दौरान ₹3.57 बिलियन प्राप्त हुए जबकि इसकी तुलना में 2013-14 में ₹3.22 बिलियन ही प्राप्त हुए थे क्योंकि पिछले वर्ष केंद्र सरकार द्वारा 9 दिनों के लिए ही ओडी का उपयोग किया था जबकि इस वर्ष उच्चतर औसत पर ओडी का उपयोग 19 दिनों के लिए किया गया। डब्ल्यूएमए/ओडी/विशेष आहरण निधि (एसडीएफ) पर

**सारणी XI.8: विदेशी स्त्रोतों से सकल आय**

(₹ बिलियन में)

| मद | 30 जून की स्थिति के अनुसार | | घटबढ़ | |
|---|---|---|---|---|
| | 2014 | 2015 | समग्र | प्रतिशत |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| विदेशी स्रोत | 17,579.52 | 21,359.04 | 3,779.51 | 21.50 |
| औसत एफसीए | 16,368.93 | 18,909.29 | 2,540.36 | 15.52 |
| एफसीए से अर्जन (ब्याज, छूट, विनिमय लाभ/हानि, प्रतिभूतियों पर पूंजीगत लाभ/हानि) | 197.68 | 257.44 | 59.76 | 30.23 |
| एफसीए से एफसीए के औसत प्रतिशत के रूप में अर्जन | 1.21 | 1.36 | 0.15 | 12.40 |

## सारणी XI.9: घरेलू स्रोतों से आय

(₹ बिलियन में)

| Item | को समाप्त वर्ष | | घट-बढ़ | |
|---|---|---|---|---|
| | 30 जून, 2014 | 30 जून, 2015 | पूर्ण राशि | प्रतिशत |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **घरेलू आस्तियां** | **8664.04** | **7656.01** | **(-)1008.03** | **(-)11.63** |
| **घरेलू आस्तियों का साप्ताहिक औसत** | **8694.77** | **7828.99** | **(-)865.78** | **(-)9.96** |
| **अर्जन (I + II+III)** | **448.49** | **535.00** | **86.51** | **19.29** |
| **I. ब्याज तथा अन्य प्रतिभूतियों से संबंधित आय** | | | | |
| i) प्रतिभूतियों की बिक्री पर लाभ | 331.37 | 139.15 | (-)192.22 | (-)58.01 |
| ii) एलएएफ परिचालनों पर निवल ब्याज | 59.02 | 28.30 | (-)30.72 | (-)52.05 |
| iii) एमएसएफ परिचालनों पर ब्याज | 17.45 | 1.88 | (-)15.57 | (-)89.23 |
| iv) देशी प्रतिभूतियों की धारिता पर ब्याज | 470.53 | 436.30 | (-)34.23 | (-)7.27 |
| v) मूल्यह्रास | (-)480.45 | (-)98.28 | 382.17 | 79.54 |
| ***उप जोड़ (i+ii+iii+iv+v)*** | ***397.92*** | ***507.35*** | ***109.43*** | ***27.50*** |
| **II. ऋणों और अग्रिमों पर ब्याज** | | | | |
| i) सरकार को (केन्द्र और राज्य) | 3.88 | 4.73 | 0.85 | 21.91 |
| ii) बैंक और वित्तीय संस्थानों को | 33.10 | 8.87 | (-)24.23 | (-)73.20 |
| iii) कर्मचारियों को | 0.48 | 0.46 | (-)0.02 | (-)4.17 |
| ***उप जोड़ (i+ii+iii)*** | ***37.46*** | ***14.06*** | ***(-)23.40*** | ***(-)62.47*** |
| **III. अन्य अर्जन** | | | | |
| i) बट्टा | 0.01 | 0.00 | (-)0.01 | (-)100 |
| ii) विनिमय | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| iii) कमीशन | 12.57 | 13.38 | 0.81 | 6.44 |
| iv) वसूल किया गया किराया, बैंक की संपत्तियों की बिक्री पर लाभ या हानि और प्रावधान जिनकी आगे जरूरत नहीं है | 0.53 | 0.21 | (-)0.32 | (-)60.38 |
| ***उप जोड़ कुल (i+ii+iii+iv)*** | ***13.11*** | ***13.59*** | ***0.48*** | ***3.66*** |

राज्यों से प्राप्त होने वाला ब्याज 2014-15 के दौरान ₹1.16 बिलियन था जबकि 2013-14 में यह ₹0.66 बिलियन था। इसका मुख्य कारण राज्यों द्वारा डब्ल्यूएमए/ओडी/एसडीएफ का दैनिक औसत मात्रा में काफी अधिक उपयोग किया जाना था, 2013-14 के दौरान यह ₹8.51 बिलियन था जबकि 2014-15 में यह ₹14.46 बिलियन रहा।

### व्यय

XI.19 रिज़र्व बैंक अपने सांविधिक कार्यों को पूरा करने में अनेक प्रकार के व्यय करता है जैसे- एजेंसी प्रभार/कमीशन, नोटों का मुद्रण, खज़ाना के विप्रेषण पर व्यय और साथ ही स्टाफ संबंधी एवं अन्य व्यय। रिज़र्व बैंक के कुल व्यय में 2014-15 में 11.92 प्रतिशत की वृद्धि हुई और यह ₹133.56 बिलियन रहा जबकि 2013-14 में यह 119.34 बिलियन था।

#### i) ब्याज भुगतान

2014-15 के दौरान ₹0.01 बिलियन के ब्याज का भुगतान डॉ. बी.आर. अंबेडकर निधि को किया गया जिसकी स्थापना स्टाफ-सदस्यों के आश्रितों के लिए की गई है।

#### ii) कर्मचारी लागत

2014-15 में कर्मचारी लागत में 6.15 प्रतिशत की कमी आई और यह ₹40.58 बिलियन रही जबकि 2013-14 में यह ₹43.24 बिलियन थी। ग्रैच्युटी और अधिवर्षिता लाभ कर्मचारी लागत के प्रमुख घटक हैं। ग्रैच्युटी और अधिवर्षिता निधि तथा अन्य निधियां जिनका मूल्यांकन उपचित आधार पर होता है में उपचित देयताओं के प्रति अंशदान में कमी आने से लागत में मुख्यतः कमी आई। 2014-15 में ₹14.83 बिलियन का अंशदान दिया गया जबकि पिछले वर्ष

₹18.09 बिलियन का अंशदान किया गया था। भविष्य निधि, ग्रैच्युटी और अधिवर्षिता निधि, छुट्टी नकदीकरण निधि और चिकित्सा सहायता निधि में शेष निधियों के समतुल्य भारत सरकार की दिनांकित प्रतिभूतियां, इन निधियों के लिए विशेष रूप से उद्दिष्ट की जाती हैं।

### iii) एजेंसी प्रभार

#### *ए. सरकारी लेनदेनों पर एजेंसी कमीशन*

रिज़र्व बैंक, एजेंसी बैंक शाखाओं के बहुत बड़े नेटवर्क के माध्यम से सरकार के बैंक के रूप में कार्य करता है, ये शाखाएं सरकारी फुटकर लेनदेन के लिए सेवाएं प्रदान करती हैं। रिज़र्व बैंक एजेंसी बैंकों को निर्धारित दरों पर कमीशन अदा करता है जिसे 01 जुलाई 2012 से संशोधित किया गया है। सरकारी लेन-देन करने के लिए इन बैंकों को वर्ष 2014-15 में ₹29.63 बिलियन कमीशन अदा किया गया जबकि इसकी तुलना में वर्ष 2013-14 में यह ₹27.81 बिलियन था, अर्थात् इसमें 6.54 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। लेनदेनों की संख्या और सरकारी प्राप्तियों तथा भुगतानों में शामिल राशि में वृद्धि होने से एजेंसी कमीशन में वृद्धि हुई।

#### *बी. प्राथमिक व्यापारियों (पीडी) को अदा किया गया हामीदारी कमीशन*

रिज़र्व बैंक ने 2014-15 के दौरान पीडी$_{ज्ञ}$ को ₹0.33 बिलियन का कुल हामीदारी कमीशन का भुगतान किया जबकि इसकी तुलना में 2013-14 में ₹4.81 बिलियन का भुगतान किया गया था। वर्ष के दौरान विविध कारणों जैसे -भारिबैं द्वारा 75 आधार अंकों की कमी करना, कच्चे तेल की कीमतों में नरमी आना, सीपीआई और डब्ल्यूपीआई में गिरावट आदि-से प्रतिफलों सहज हुए (10 वर्षीय बेंचमार्क प्रतिफल में लगभग 86 अंकों की कमी आई), जिससे पिछले वर्ष की तुलना में इस बार हामीदारी कमीशन का भुगतान कम हुआ। चूंकि बाजार की स्थितियां बेहतर रहने और जोखिम की प्रत्याशा में कमी आई, जिससे पीडी$_{ज्ञ}$ ने पिछले साल, जब मई 2013 में यूएस फेड द्वारा घोषित टेपर टैंट्रम के बाद बाजार में हल-चल की स्थिति थी, की तुलना में कम हामीदारी कमीशन की मांग की।

#### *सी. बाह्य आस्ति प्रबंधकों, अभिरक्षकों आदि को अदा किया गया शुल्क*

रिज़र्व बैंक के विदेशी मुद्रा भंडार के एक छोटे से हिस्से के प्रबंधन का कार्य बाहरी आस्ति प्रबंधकों को सौंपा गया है और रिज़र्व बैंक की विदेशी आस्तियों को जो अभिरक्षक धारित करते हैं,उन्हें जुलाई-जून 2015 के दौरान ₹0.49 बिलियन राशि का भुगतान किया गया जबकि 2013-14 में राशि ₹0.63 बिलियन थी।

### iv) नोट मुद्रण

नोटों के मुद्रण पर हुए खर्च में 2014-15 में 17.05 प्रतिशत का इज़ाफा हुआ जो बढ़कर ₹37.62 बिलियन हो गया जबकि 2013-14 में यह खर्च ₹32.14 बिलियन था। इसका मुख्य कारण बैंक नोटों की आपूर्ति में हुई वृद्धि रही।

### v) अन्य खर्च

अन्य खर्च जिनमें खज़ाना के प्रेषण, मुद्रण और लेखन-सामग्री, लेखा-परीक्षा शुल्क और संबंधित व्यय, विविध व्यय, आदि शामिल हैं में 39.74 प्रतिशत की इज़ाफा हुआ, 30 जून 2014 की स्थिति के अनुसार यह ₹10.67 बिलियन था जबकि 30 जून 2015 की स्थिति के अनुसार यह ₹14.91 बिलियन हो गया। प्राथमिक रूप से इस वृद्धि का कारण बैंकिंग विकास योजना पर हुआ खर्च है, 2013-14 में इस पर ₹0.53 बिलियन खर्च किए गए थे जबकि 2014-15 में इस पर ₹3.03 बिलियन खर्च किए गए।

**vi) प्रावधान**

इसके तहत ₹10 बिलियन की राशि एडीएफ में अंतरित की गई ताकि उसे एनएचबी की अंश पूंजी के रूप में निवेशित किया जा सके।

**पिछले वर्ष के आंकड़े**

XI.20 पिछले वर्ष के आंकड़ों को पुनः व्यवस्थित किया गया है ताकि उन्हें मौजूदा वर्ष के साथ तुलनीय बनाया जा सके।

**लेखा-परीक्षक**

XI.21 बैंक के लेखा-परीक्षकों की नियुक्ति भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 50 के अनुसार केंद्र सरकार द्वारा की जाती है। भारतीय रिज़र्व बैंक के वर्ष 2014-15 की लेखा-बहियों की लेखा-परीक्षा मैसर्स हरिभक्ति एंड कंपनी एलएलपी, मुंबई और मैसर्स सीएनके एंड एसोसिएट, एलएलपी, मुंबई द्वारा सांविधिक केंद्रीय लेखा-परीक्षकों के रूप में और मैसर्स एम.चौधरी एंड कंपनी तथा मैसर्स सुंदरम एंड श्रीनिवासन एवं मैसर्स वी.के.वर्मा एंड कंपनी द्वारा सांविधिक शाखा लेखा-परीक्षकों के रूप में की गई।